रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/93 REGISTERED NO. DL-33001/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 2, 1993 (आश्विन 10, 1915)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 2, 1993 (ASVINA 10, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
(केन्द्रीय कार्यालय)
(सरकारी और बैंक लेखा विभाग)
बम्बई दिनांक 1993

भारत के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8)70/बी/52 और भारत के दिनांक 21 फरवरी 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अन्तर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के नियम 18 के अनुसरण में (28 फरवरी 1993 को समाप्त माह के लिये) निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिनके सम्बंध में इस बात का विश्वास करने के लिये प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गई हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों के इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग बम्बई को संसूचित करे। सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"
मद्रास मण्डल

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम निम्न नाम से जारी की गई		ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिये दावेदार(रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड 1980 "बी" शृंखला			
एम० एस० –001002	12 ग्राम	टी० एम० चिन्नस्वामी	7–1–66	टी० एम० चिन्नस्वामी	जे० एम० डी० वाय, सं० 99 दिनांक 15–2–93 (एल० एन० 2365)

सूची "ख"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य	नाम से जारी की गई	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने / तथा भुगतान मूल्य की अदायगी के लिये दावेदार/रों का/के नाम	आदेश संख्या एवं जारी करने की तारीख	लोक ऋण अधिनियम 1944 के अन्तर्गत सूची के प्रकाशन की तारीख जिसमें प्रतिभूति पहली बार प्रकाशित की गई थी
1	2	3	4	5	6	7
बम्बई मण्डल						
6.25 प्रतिशत ऋण 1966						
बी०आय०-003759	1,00,000	वि मेनन को-आप० बैंक लि०, बम्बई-400003	1-6-1992	वि मेनन को-आप० बैंक लि०, बम्बई-400003	मामला सं० 20-04-1979 संयुक्त प्रबंधक के दिनांक 23-1-1993 के आदेश तथा के का० डायरी सं० 453 दिनांक 25-11-993	—
मद्रास मण्डल						
राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड 1980 "बी" शृंखला						
एम० एस०-017532	9 ग्राम	सी० पी० करूप्पय्या (अब मृत)	27-10-87	के० धनलक्ष्मी	जे० एम० डी० बाई० सं० 119 दिनांक 19-5-92 (एल० एन०2627)	—
एम० एस०-035316	2 ग्राम	वी० पी० फिलिप	—वही—	वी० पी०फिलिप	जे० एम० डी० बाई० सं० 48 दिनांक 12-10-92 (एल० एन०-2628)	—
ए०एच०-016504	10 ग्राम	जी० सभापति	27-10-86	जी० सभापति	जे० एम० डी० बाई सं० 64 दिनांक 29-10-92 (एल० एन० 2255)	—
नागपुर मण्डल						
राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बंध पत्र, 1980 —शृंखला "बी"						
एन० बी-001481	30 ग्राम	सत्यनारायण तिवारी (मृत)	27-10-86	योगेश नारायण तिवारी	सी०ओ० 380 दिनांक-30-6-92	—
बंगलूर मण्डल						
3½ प्रतिशत राष्ट्रीय योजना ऋण 1964						
*बी० एल०-001568	500.00	भारतीय रिजर्व बैंक	19-4-58	के० तिप्पया	फाइल सं० एल०एन० 305 प्रबंधक का आदेश दिनांक 14-9-89 और दिनांक 12-12-89 का केन्द्रीय कार्यालय का अनुमोदन	—
*अनुलिपि बांडों को सीधा जारी किया/चुकौती मूल्य का भुगतान प्राधिकृत						
कानपुर मण्डल						
राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बंधपत्र शृंखला "ए"						
के० एल० 000462	12 ग्राम	महावीर प्रसाद डागा	27-10-86	महावीर प्रसाद डागा	सी० ओ० आई आर० 2304/ 50 दिनांक 30-3-88 एल० एन० जी० 138	5-11-88

मुख्य लेखाकार
भारतीय रिजर्व बैंक,
केन्द्रीय कार्यालय,
सरकारी और बैंक लेखा विभाग,
बम्बई-400051

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

बम्बई–400005, दिनांक 16 अप्रैल 1993

सं० 3 डब्ल्यू० सी० ए० (8) 15/92-93—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खंड (4) जिसे अधिनियम 10(2) (ब) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथि से रद्द कर दिये गए हैं। क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस प्रमाणपत्र के लिए वार्षिक शुल्क जमा नहीं किया था।

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	007148	श्री संपत परमानन्द पुरुषोत्तम ए० सी० ए०, फ्लेट 27, 2रा माला, महेश्वरी निवास, तिलक रोड़ सांताक्रुझ (पश्चिम) बम्बई–400054	9–12–91
2.	007613	श्री शाह कुमुदचन्द्र मफतलाल एफ० सी० ए० 19, मंगल पार्क, न्यू विकास गृह, पाल्दी, अहमदाबाद–380007	9–12–91
3.	008072	श्री भागवत शारदचन्द्र भालचन्द एफ० सी० ए० 9, अमरदीप ज्योति सोसायटी, अभिनव विद्यालय लेन, कर्वे रोड, पुना–111004	9–12–91
4.	008863	श्री पारीख अरुणकुमार नटवरलाल, एफ० सी० ए० 402, गोकुल–4 था माला, गोरसवाड रोड, मीलाप सिनेमा के पीछे, मालाड (प), बम्बई–400064	1–10–90
5.	022272	श्री सी० सुदर्शन राव ए० सी० ए० विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार भवन, महात्मा गांधी रोड़, बम्बई–400001	1–10–90
6.	035166	श्री पेरेज्रा थामस ए० सी० ए० 4 जो सीक्षा 30 सस्मीरा मार्ग, प्रभादेवी, बम्बई–400025	7–12–91
7.	037200	श्री शाह अरविन्दकुमार रनछोडलाल, ए० सी० ए० असि० एकाउन्ट्स एम जी आर इफको, कांडला यूनिट अकाउन्ट्स डिपार्टमेंट, टी० पो० बा० नं० 12, पो० कांडला, कांडला कुटच–370201	9–12–91
8.	037268	श्री देसाई सुनील मनवंतरी ए० सी० ए० 10–बी, जनतानगर सोसायटी सीयाद वासना रोड़, बरोडा–370015	1–10–90
9.	037275	श्री शाह नीलेश शांतीलाल ए० सी० ए०, 51, शांता स्मृती रिद्धीसिद्धी नगर वीरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम), बम्बई–400038	9–12–91
10.	037278	श्री दुभाष फेरुजी ऋषी ए० सी० ए० 3–ए, फराई इस्टेट ताडदेव रोड, बम्बई–400007	9–12–91
11.	037305	श्री घोटे अभय प्रभाकर ए० सी० ए० 30/2, कांचन पांडुरंगवाडी, गोरेगांव (पूर्व) बम्बई–400063	9–12–91
12.	037912	श्री पंचमीया नीरव चिमनलाल ए० सी० ए० 7, सौराष्ट्र सोसायटी, 7वांरोड टी० पी० एस०–III सांताक्रुझ (पूर्व), बम्बई–400055	1–10–90
13.	038647	श्री खान इस्तीयाक अहमद सेराकूल हक ए० सी० ए० 61, जाली मेकर अपार्टमेंट नं० 2, 94 कफ परेड बम्बई–400005	9–12–91
14.	038730	श्री डिसोझा डॉल्फी जॉन, ए० सी० ए०, 3/73–74, नुर दालू मेंशन, तेली गल्ली, कालाचोकी, बम्बई–400012	9–12–91

1	2	3	4
15.	039466	श्री सुब्रमनियम प्रकाश, ए० सी० ए०, प्लाट नं० 2ए/ विंग, कुदेर अपार्टमेंट्स एस० मंबाडी आर० वसई (पश्चिम) बम्बई–401202	9–12–91
16.	039959	श्री व्यंकटेश श्रीनिवासन ए० सी० ए० डी–3 आदिनाथ को०–आप एस० एम० डी० रोड अन्टाप हील, बम्बई–400037	9–12–91
17.	039968	कु० हमझाधीराक्षीया अब्बास ए० सी० ए० 4/3414, हैदरअली कसमली स्ट्रीट, देगामपुरा झाम्पा बाजार, बेगुमपुरा आमीचास; सूरत–395003	9–12–91
18.	040097	श्री पारेख पारेश अशोक, ए० सी० ए०, 6/269, नंदनवन बिल्डिंग, सायन (पश्चिम), बम्बई–400022	9–12–91
19.	040163	कु० रामनाथन गीया ए० सी० ए०, 98, ज्योति कैलाश सोसा०, सेंटेलाइट आर, अहमदाबाद 380014	1–10–90
20.	040265	श्री रानडे सुरचन्द्र यशवन्त ए० सी० ए० मीसेस एम० बाई० रानडे, 14 अनुबंध नजदीक, तिलक हाई स्कूल, तिलक नगर, डोंबिवली–421201	9–12–91
21.	040572	श्री बालासुब्रमनियम बी०, ए० सी० ए०, नं० 8, आदिलाश हारे कृष्णा मार्ग, पो० आ० आय० आय० टी० पवई, बम्बई–400076	9–12–91
22.	040813	श्री जोशी विपूल हरसुखलाल ए० सी० ए०, भावना ब्लाक, एच प्लेट नं० 7 एस झास रोड, कांदिवली (पश्चिम) बम्बई–400067	9–12–91
23.	041023	श्री घोटचलकर चेतन दुर्गेश ए० सी० ए०, 1 जीवन पराग रोड नं० 2, टी० पी० पी० एस० छी० प्रभात कालोनी, सांताक्रुझ (पश्चिम), बम्बई–400055	9–12–91
24.	041352	श्री मुन्द्रा कृष्णा कुमार रामप्रसाद, ए० सी० ए०, 41, शालका , बाई० एम० सी० ए० के पीछे बम्बई–400058	9–12–91
25.	041473	श्री दोषी हितेन्द्रकुमार जमदकुमार, ए० सी० ए०, बी/15, लक्ष्मी अपार्टमेंट्स, कामर्स कालेज के पीछे, अहमदाबाद–380009	9–12–91
26.	041573	श्री गांधी नीतिन बाबुलाल ए० सी० ए०, बी/4, सतलुज सहकारग्राम, अशोक नगर, झास रोड़ नं० 3, कांदिवली (पूर्व), बम्बई–400101	9–12–91
27.	041726	श्री हरीहरन विजय कुमार, ए० सी० ए०, ए/7, कणेमा 2रा माला, टी० पी० एस० बी०, 5वां रोड, सांताक्रुझ (पश्चिम), बम्बई–400034	9–12–91
28.	042133	मिस नाईक सीमा वसन्त ए० सी० ए०, ब्लाक ए/3, यशोधर सोसायटी, जे० पी० नगर रोड नं० 3, गोरेगांव (पश्चिम), बम्बई–63	9–12–91
29.	042198	मिस चौतीन्हो कारेन ए० सी० ए०, जस्मीन अपार्टमेंट, 10वां माला डाकयार्ड, रोड, माझगांव, बम्बई–400010	9–12–91
30.	042347	श्री इयेंगार श्रीनिवासन सुन्दरराजा, ए० सी० ए०, बी–5, सतगुरु अपार्टमेंट, होटल गोल्डन पलेस, नजदीक ओल्ड आगरा रोड, थाणे (प०) 400601	9–12–91

1	2	3	4
31.	042362	श्री पिंटो मीलवील्ले माईकल ए० सी० ए०, 9, संगितला स्ट्रीट, पीयुस सी सोसायटी नाहूर, मुलुंड (पश्चिम), बम्बई—400080	1—10—90
32.	042703	श्री घोष सुरेन्द्र कुमार, ए० सी० ए०, 2/2 गनपती विल्ला प्रताप सिनेमा के पीछे, थाने—400601	9—12—91
33.	042817	श्री मल्लया कृष्णा ए० सी० ए०, के० जे० मल्लया फ्लेट नं० 8, ए—6/7, हप्पी जीवन, जीवन बीमा नगर, बोरिवली (प०), बम्बई—400103	9—12—91
34.	042949	श्री लिमये प्रमोद पुरुषोत्तम ए० सी० ए०, शांती नगर अपार्टमेंट्स ब्लाक नं० 5, 1140 सदाशिव पेठ, अपो० शिवाजी मन्दिर, पूना—411030	9—12—91
35.	043026	मिस नायर शंकरनारायणन ए० सी० ए०, 71, केनीलवर्थ पेद्दार रोड, बम्बई—400026	9—12—91
36.	043030	श्री अय्यर वेंकटेश कृष्णामूर्ति ए० सी० ए०, 202/217 सुन्देरन व्ही, बी विंग, मालाड (पूर्वी), वांडोगिरी, बम्बई—400097	9—12—91
37.	043078	श्री भन्साली आशिश महेन्द्रभाई ए० सी० ए०, अतुल प्रोडक्टस सी० लि० फायनान्स डिपार्टमेंट, पो० आ० अतुल, वलसाड—396020	9—12—91
38.	043087	श्री ठाकुर संजय सुन्दरलाल ए० सी० ए० 204, आशिर्वानी अपना घर, 4, बंगलो अंधेरी (पश्चिम) बम्बई—400058	9—12—91
39.	043130	श्री नारायणन नंबीस मोहनन ए० सी० ए०, 3/3/26, विश्रामस्थल सोसायटी बंगुर नगर, गोरेगांव (प०) बम्बई—400090	9—12—91
40.	043233	मीस कपुर कानीका, ए० सी० ए०, द्वारा प्राइस वाटर हाउस, 1102, रहेजा चेम्बर्स, नरीमन प्वाइंट, बम्बई—400021	9—12—91
41.	043608	श्री आगले प्रकाश बलवंत ए० सी० ए०, के एल 5/47/10, एस 3 ई, कलंबोली, नई बम्बई—410218	9—12—91
42.	043723	श्री ध्रुव यश वसंत, ए० सी० ए०, 13/398 शास्त्री नगर, गोरेगांव (प), बम्बई—400104	9—12—91
43.	043921	श्री शाह तुषार जमनादास ए० सी० ए०, 5, 1ला माला, रामकृष्णा निवास प्रार्थना समाज रोड, विले पार्ले (पूर्व), बम्बई—400057	1—10—90
44.	043953	मिस अय्यर लता कौशन ए० सी० ए०, 3, तेज कीरन, मुलुन्ड (पूर्व) बम्बई—400081	9—12—91
45.	044072	श्री घोजकर संतोष राजाराम ए० सी० ए०, 257, वालकेश्वर रोड, बम्बई—400006	9—12—91
46.	044221	श्री महेशकुमार रामनीराजन जालन, ए० सी० ए०, आर० नं० 5, लक्ष्मी सोसायटी प्लाट नं० 299, पंत नगर, घाटकोपर (पूर्व) बम्बई—400075	9—12—91
47.	044438	श्री कमानी सुरम्या नवीन ए० सी० ए०, फोरबीन, 3रा माला, 31, पोचखानवाला रोड, वरली, बम्बई—400025	9—12—91

1	2	3	4
48.	044450	श्री रींवानी उमेश ज्योतिवर्दन ए॰ सी॰ ए॰, 201, ज्युपीटर अपार्टमेंटस, टवीन स्टार ज्युपीटर को॰ आप॰ हा॰ सोसायटी, 41 कफ परेड, बम्बई- 400005	9-12-91
49.	044658	मीस अय्यर गीता व्यंकटेश ए॰ सी॰ ए॰, 202-217 सुंदेराम व्ही, बी॰ विंग, मालाड (पूर्व) बम्बई-400097	9-12-91
50.	044838	श्री गणेश वेनुगोपालन ए॰ सी॰ ए॰, बी-6, श्री गणेश को॰आप॰ हा॰ सोसा॰ अपना बाजार नजदीक, मुलूण्ड (पश्चिम) बम्बई-400080	9-12-91
51.	044861	श्री नरेश बेनी प्रसाद परश्राम- पुरी, ए॰ सी॰ ए॰, सी-1/33, टेक्सटाइल को॰ आप॰ हाउ॰ सोसायटी, आफ वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, बम्बई-400025	9-12-91
52.	072077	श्री गुप्ता सुरेश चान, ए॰सी॰ए॰ फायनांस कन्ट्रोलर ब्रांच, टेक्सटाइल मिल्स एम॰ जी॰ रोड भडच-392001	1-10-88

ए॰ के॰ मजुमदार, सचिव

दिनांक 13 मई 1993

सं॰3 डब्ल्यु॰ सी॰ ए॰(8) 18/92-93—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खंड (4) जिसे अधिनियम 10 (2) (ब) के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए गए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथि से रद्द कर दिये गये हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र के लिए वार्षिक शुल्क जमा नहीं किया था।

क्रम सं॰	सदस्यता सं॰	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	009855	श्री मिश्रा दिलीप कुमार, ए॰ सी॰ ए॰, डी-2/7, कोल इस्टेट, सिविल लाईन, नागपुर-440001	1-10-92
2.	010000	श्री जोशी पद्मनाभा भाईशंकर, एफ॰ सी॰ ए॰, बी-201, वैभव अपार्टमेंटस जूना प्रभादेवी रोड, बम्बई-400025	1-10-92
3.	010029	श्री मेहता जगतमोहन भोगीलाल, एफ॰ सी॰ ए॰, ई-8, कामर्स सेंटर, तारदेव रोड, बम्बई- 400034	1-10-92
4.	030390	श्री शाह कमलनयन साकरलाल एफ॰ सी॰ ए॰, 104 नींदलकर चेम्बर्स, जम्बुजेट डांडीया बाजार, बरोडा-390001	1-10-92
5.	032065	श्री वझिरानी श्याम श्रामनदास ए॰ सी॰ ए॰, फ्लेट नं॰ 36, मुक्ता बिल्डिंग पेरु बाग, आरे रोड गोरेगांव (पू॰) बम्बई-400063	1-10-92
6.	032261	श्री पारीख शिरीष शांतीलाल ए॰ सी॰ ए॰, पारीख एस॰ एस॰ एण्ड कं॰, 27, चकला क्रास लेन, बम्बई-400003	01-10-92
7.	032552	श्री दवे राममोहन नीलकंठ एफ॰ सी॰ ए॰, ए-2 एन॰ एफ॰ आई॰ कालोनी सूरत-395023	1-10-92
8.	032995	श्री ठक्कर प्रवीण जमनादास बी॰ काम, ए॰ सी॰ ए॰, पो॰ बा॰ नं॰ 5561, रुई, ओमान	1-10-92
9.	033541	श्री जोशी बालकृष्णा शरद बी॰ काम, ए॰ सी॰ ए॰, 11 अनीकेत पांडुरंगवाडी, गोरेगांव (पू) बम्बई-400063	1-10-92
10.	034226	श्री राधाकृष्णन, ए॰ सी॰ ए॰, 33, मधुमुकुन्द सायन (पू), बम्बई-400022	1-10-92
11.	034472	श्री पारीख कमलेश शांतीलाल ए॰ सी॰ ए॰ 3/20 घुतपापेश्वर प्रसाद, मंगलवाडी गिरगाम रोड, बम्बई-400004	1-10-92

1	2	3	4
12.	034534	श्री शाह दीपक रमनीकलाल एफ. सी. ए., 308, पेरीन नरीमन स्ट्रीट, रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पीछे बम्बई—400001	1—10—92
13.	034740	श्री काडिआ सुरेश कुमार, एफ. सी. ए., काडिया एसोसिएट्स रूम नं. 49, 3रा मजला, नंद भवन, 59/61, बाबु गेनू रोड, बम्बई—400002	1—10—92
14.	034902	श्री टुसड शिवलाल फूलचन्द एफ. सी. ए., आफिस नं. 25, हाईवे टावर्स, पुणे बाम्बे रोड, चिंचवड, पुणे—411019	1—10—92
15.	036354	श्री नागानाथन जी, ए. सी. ए., 100, मोरवेनेल्ली कोर्ट 1044 स्केरबोरो एस एल टी एम आई 4×2 कैनेडा	1—10—92
16.	036461	श्री राठी कमलकिशोर धममल ए. सी. ए., 3, शिव सदन सिद्धार्थ नगर, 17 वां रोड, गोरेगांव (प), बम्बई—400062	1—10—92
17.	036625	श्री अल्लाना नजमुद्दीन नुर ए. सी. ए., 4/16, कैनोपस अपार्टमेंटस, बोट क्लब रोड, पुणे—411001	1—10—92
18.	040021	कु. सोमी वजीर कुमार, ए. सी. ए., ए—7 वेस्टर्न रेलवे आफिसर्स फ्लैट, आई एम सी मार्ग ।	1—10—92
19.	044248	कु. क्रैसटा शरोन, ए.सी.ए., ए—53, आशियाना सेंट जॉन बेपटीस्ट रोड, बान्द्रा, बम्बई—400050	1—10—92
20.	044333	श्री पकुल नरेन्द्रकुमार शाह ए. सी. ए., 4, शिव शक्ति सोसायटी, जलाराम टेंपल के पास, करेलीबाग, बड़ौदा	1—10—92
21.	045942	श्री भवानी जगेश चम्पकलाल ए. सी. ए., 701 रवीभाई टावर्स, स्टेशन रोड मनी नगर, अहमदाबाद—380008	1—10—92
22.	074169	श्री यू. सी. अग्रवाल, ए. सी. ए., सी—1/5, सावित्री विहार, सोमलवारा बस स्टाप, वर्धा रोड नागपुर—440025	1—10—92

ए. के. मजुमदार
सचिव

भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड

चण्डीगढ़, दिनांक 13 अगस्त 1993

सं. 26094/आर एण्ड आर/24/86—आर—4—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 79 की उपधारा (9) की धाराओं (क) तथा (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड (बोर्ड के अध्यक्ष, और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य तथा बैठकों का कार्य संचालन) विनियमों 1976 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा बनाता है, जिनके नाम हैं :—

(1) ये विनियम भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड (बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य तथा बैठकों का कार्य संचालन) संशोधन विनियम, 1993 कहलाए जाएं।

(2) ये सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड (बोर्ड के अध्यक्ष तथा अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य तथा बैठकों का कार्य संचालन) विनियमों 1976 के विनियम 2 की धारा (ख) में "अवर सचिव" शब्दों के लिए "विशेष सचिव" शब्द प्रतिस्थापित होंगे।

ह०/— अपठनीय
सचिव, भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड

चण्डीगढ़, दिनांक 1993

चण्डीगढ़, दिनांक 1993

सं. 2-93/जी. आर.—केन्द्रीय सरकार (मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा विभाग) ने अपने पत्रांक एफ 23-7/91-यू. आई. दिनांकित 17-8-1993 द्वारा निम्नांकित विनियमों को मंजूरी दे दी है।

अध्याय-1

अनुप्रयोग-सीमा और परिभाषाएं

1.1 इन विनियमों की जो (समय-समय पर संशोधित किए गए) पंजाब यूनिवर्सिटी अधिनियम, 1947 के अनुभाग

31(2) (ई) के अंतर्गत जारी किए गए हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी कर्मचारी (पेंशन) विनियम, 1991 कहा जाएगा । ये विनियम 1 जनवरी, 1986 से लागू हुए समझे जाएंगे ।

1.2 इन विनियमों के उपबंध निम्नांकित पर लागू होंगे :—

(क) वे सभी कर्मचारी जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में इन विनियमों की अधिसूचना तिथि या इसके बाद यूनिवर्सिटी सेवा आरम्भ की है;

(ख) (1) वे कर्मचारी जिन्होंने इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से पहले यूनिवर्सिटी सेवा आरम्भ की है;

(2) वे कर्मचारी जो इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं, परन्तु यदि वे आगे विनियम 1.9 में दिए उपबंधों के अनुसार इन विनियमों द्वारा विशेष रूप से विनियमित होने के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करते हैं ।

1.3 उन कर्मचारियों की हालत में जो इन विनियमों द्वारा विनियमित हैं, कैलेन्डर भाग 1, 1989 के अध्याय-3 यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में निहित अंशदायी भविष्य निधि और उपदान से संबंधित उपबंध और इनके अंतर्गत बनाए नियम लागू नहीं होंगे ।

1.4 ये विनियम उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जिनको विनियम 1.5 (3) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है ।

1.5 जब तक किसी संदर्भ या विषय में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अध्याय में परिभाषित पदों को इन विनियमों में नीचे दिए गए अर्थों में प्रयोग किया गया है :

1. "औसत परिलब्धि" का अर्थ है अर्हक सेवा के अंतिम दस महीनों पर निकाली औसत ।

2. "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है नियुक्ति-प्राधिकारी अथवा ऐसा प्राधिकारी जिसको विशेष अधिकार सौंपे गए हैं ।

3. "कर्मचारी" का अर्थ है पंजाब यूनिवर्सिटी की सेवा में नियुक्त कोई भी व्यक्ति, परन्तु इसमें संविदा पर, अंशकाली या दिहाड़ी पर लगे अथवा निर्माण-प्रसारित अथवा यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग या ऐसे ही अन्य निकायों द्वारा वित्तीकृत प्रायोजनाओं/योजनाओं के अधीन नियोजित व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे ।

4. "परिलब्धि" का अर्थ है वह परिलब्धि जो एक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु की तिथि से तत्काल पूर्व प्राप्त करता था और इसमें मूल वेतन, विशेष वेतन (जिसमें मैडिकल अधिकारियों को दिया प्रैक्टिस बंदी भत्ता शामिल है), निजी वेतन, महंगाई भत्ता (जब भी यूनिवर्सिटी घोषित करे) और ऐसी अन्य मदें सम्मिलित होंगी जो यूनिवर्सिटी द्वारा पेंशन के उद्देश्य में वेतन घोषित की गई हों ।

5. "अर्हक सेवा" का अभिप्राय उस सेवा से है जो इन विनियमों के अंतर्गत पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करती है । यह सेवा सम्पूरित आधा वर्ष के आधार पर गिनी जाएगी, बशर्ते कि तीन महीने और अधिक की भिन्न (फ्रैक्शन) को सम्पूरित आधा वर्ष माना जाएगा ।

6. "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ का रजिस्ट्रार अथवा अन्य कोई व्यक्ति जिसे कुछ समय के लिए रजिस्ट्रार के अधिकार प्राप्त हों ।

7. "सिंडिकेट" से अभिप्राय है पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट ।

8. "यूनिवर्सिटी" का अर्थ है पंजाब यूनिवर्सिटी ।

9. "कुलपति" से अभिप्राय है पंजाब यूनिवर्सिटी का कुलपति अथवा अन्य कोई व्यक्ति जिसे कुछ समय के लिए कुलपति के अधिकार प्राप्त हों ।

1.6 यदि विनियमों में कहीं अन्यथा न दिया गया हो, किसी कर्मचारी का पेंशन का दावा उस समय लागू विनियमों द्वारा विनियमित होगा जब वह सेवा से निवृत्ति प्राप्त करता है या त्यागपत्र देता है, और विनियमों में बाद में किया गया संशोधन उस पर लागू नहीं होगा ।

1.7 इन विनियमों को लागू करने के मामले में समय-समय पर संशोधित पंजाब सिविल सर्विसिज रूल्ज, भाग-2 में दिए पेंशन नियमों के अनुसार उपबंधों को, जहां तक यूनिवर्सिटी सेवा में अपनाए जा सकते हों, ध्यान में रखा जा सकता है, परन्तु ये उन अपवादों और संशोधनों के अधीन अपनाए जा सकते हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी अपने विनियमों द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर सकती है ।

1.8 सिंडिकेट इन विनियमों में दिए उपबंधों के उचित प्रयोग और लागू करने के लिए आवश्यक नियम बनाएगी ।

1.9 (क) जिन कर्मचारियों ने इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से पहले यूनिवर्सिटी की सेवा आरम्भ की है, वे निम्नांकित विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं :—

1. पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेन्डर भाग-1, 1989 के अध्याय-3 यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में निहित अंशदायी भविष्य निधि-और-उपदान स्कीम द्वारा विनियमित होने का ।

2. इन विनियमों में निहित पेंशन योजना द्वारा विनियमित होने का ।

(ख) 1. जो कर्मचारी ऊपर उपधारा (क) (2) के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत करता है, इन विनियमों की अधिसूचना तिथि पर या उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर, जो भी पहले हो, उसके अंशदायी भविष्य निधि लेखा में यूनिवर्सिटी के कुल अंशदान को ब्याज सहित उसकी अंशदायी भविष्य निधि से निकाल लिया जाएगा या यूनिवर्सिटी पेंशन निधि (कोष) में जमा करने के लिए 1-1-1986 से उसको किए जाने वाले पेंशन भुगतान के विरुद्ध समंजित किया जाएगा ।

2. इन विनियमों की अधिसूचना तिथि को कर्मचारी का अंशदायी भविष्य निधि का भाग ब्याज सहित उसके सामान्य भविष्य निधि लेखा में

जमा करवा दिया जाएगा जिसमें यूनिवर्सिटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित उस निधि के नियमों के अंतर्गत वह अनिवार्य रूप में अंशदान देगा ।

(ग) इस विकल्प का प्रयोग सिंडिकेट द्वारा निर्धारित समय में किया जाएगा और एक बार प्रयुक्त विकल्प अंतिम और अटल होगा ।

(घ) जो कर्मचारी ऊपर धारा (ग) में निर्धारित समय में विकल्प का प्रयोग करने में अक्षम रहते हैं, उनकी हालत में ऊपर उपधारा (क) (1) में वर्णित अंशदायी भविष्य निधि और योजना के अधीन विकल्प जारी रखा समझा जाएगा ।

(च) जो कर्मचारी इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं, वे यदि चाहें तो इन पेंशन विनियमों द्वारा विनियमित होने का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु शर्त यह है कि वे अपनी अंशदायी भविष्य निधि में यूनिवर्सिटी से लिया यूनिवर्सिटी का ब्याज सहित अंशदान यूनिवर्सिटी पेंशन निधि (कोष) में जमा करवाने के लिए उनको देय पेंशन भगतान के विरुद्ध वापिस या समंजित करेंगे ।

यूनिवर्सिटी अंशदायी भविष्य निधि की अपनी अंशदान राशि पर न तो कोई ब्याज वसूल करेगी और न ही 1-1-1986 अर्थात् पेंशन योजना लागू होने की तिथि से कर्मचारी को देय पेंशन के बकाये पर ब्याज देगी ।

1.10 जो कर्मचारी 45 साल या इससे अधिक आयु पर नियुक्त होता है, वह अपनी नियुक्ति से तीन महीने के अंदर पेंशन योजना के विनियमों द्वारा विनियमित न होने का निर्णय ले सकता है, तत्पश्चात् वह कैलेन्डर भाग-1, 1989 के 'यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की सेवा शर्तें' के विनियमों और इनके अंतर्गत बनाए नियमों में अंतर्निष्ट अंशदायी भविष्य निधि और उपदान योजना द्वारा विनियमित होगा ।

अध्याय-2

पेंशन प्रदान करने से संबंधित सामान्य उपबंध

पेंशन का वर्गीकरण

2.1 पेंशन का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है :—

1. मुआवजा पेंशन—यह उस कर्मचारी को दी जाएगी जिसको उसका पद समाप्त होने पर सेवामुक्त कर दिया जाता है और उसे कोई अन्य तुल्य पद देने की संभावना नहीं होती ।

2. अशक्तता पेंशन—यह उस कर्मचारी को उसकी सेवा निवृत्ति पर प्रदान की जाएगी जब वह शारीरिक अथवा मानसिक अशक्तता के कारण स्थायी रूप में सेवा के अक्षम हो जाता है, परन्तु इसका प्रमाणीकरण यूनिवर्सिटी के मख्य मैडिकल अधिकारी द्वारा किया गया हो ।

3. अधिवर्षिता पेंशन—यह उस कर्मचारी को दी जाएगी जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है ।

4. निवृत्ति पेंशन—निवृत्ति पेंशन उस कर्मचारी को दी जाएगी जो :—

(क) यूनिवर्सिटी नियमों के अनुसार अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की आयु से पूर्व सेवानिवृत्त होता है अथवा हुआ हो ।

(ख) जो फालतू घोषित किए जाने पर, यूनिवर्सिटी नियमों के उपबंधों के अनुसार स्वैच्छिक निवृत्ति चाहता है ।

5. अनुकम्पा भत्ता—जिस कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त या निकाल दिया जाता है, उसकी पेंशन जब्त कर ली जाएगी । बशर्ते कि यदि केस विशेष विचार का पात्र हो, तो उस कर्मचारी को बरखास्त अथवा निकाल देने के सक्षम प्राधिकारी, पेंशन के 2/3 के बराबर की राशि का अनुकम्पा भत्ता मंजूर कर सकता है जितना उसे मैडिकल प्रमाणपत्र के आधार पर सेवानिवृत्त होने पर मिलता ।

2.2 सामान्य शर्तें—प्रत्येक प्रकार की पेंशन देने के लिए सदाचरण निहित शर्त है । यदि पेंशनर गंभीर अपराध सिद्ध-दोष है अथवा नैतिक चरित्रहीनता के गंभीर दुराचार का दोषी है, तो यूनिवर्सिटी को पेंशन या इसके कुछ अंश को रोक रखने अथवा वापस लेने का अधिकार है ।

2.3 (क) यदि पेंशनर गंभीर अपराध का सिद्ध-दोषी है, तो ऐसी दोष-सिद्धि के लिए न्यायालय के निर्णय की रोशनी में कार्यवाही की जाएगी ।

(ख) यदि यह केस ऊपर दी गई धारा (क) के उपबंधों के अंतर्गत नहीं आता, उस स्थिति में यदि सक्षम प्राधिकारी चाहे कि पेंशनर गंभीर दुराचार का प्रत्यक्षतः दोषी है, यह आदेश जारी करने से पहले :—

1. पेंशनर को नोटिस भेजेगा जिसमें उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही और उन आधारों का उल्लेख किया जाएगा जिनके आधार पर यह कार्यवाही की जाती है और नोटिस प्राप्त करने से साठ दिनों या उसके आगे सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाए पन्द्रह दिनों के बीच उसे इस कार्यवाही के जवाब में प्रतिवेदन देने के लिए कहेगी, और

2. उपधारा (1) के अंतर्गत पेंशनर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को विचाराधीन लाएगा ।

(ग) इस विनियम के अंतर्गत कुल पेंशन या इसके किसी अंश को रोक रखने अथवा न देने के किसी भी प्रश्न पर यूनिवर्सिटी का निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा ।

2.4 किसी कर्मचारी की पहले मंजूर की गई या मंजूर की जा रही पेंशन में से कोई भी वसूली नहीं की जाएगी (चाहे पेंशन घटा कर की जाती है अथवा पेंशन से कटौती करने के बाद) ।

2.5 बशर्ते कि यदि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही में पेंशनर अपने सेवा काल के दौरान, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति की सेवा भी सम्मिलित है, गंभीर दुराचार अथवा गफलत का दोषी पाया जाता है, तो यूनिवर्सिटी को इस ढंग से पेंशन या उसके कुछ भाग को, स्थायी अथवा निश्चित समय के लिए रोक रखने अथवा न देने का अधिकार है और यूनिवर्सिटी को हुए आर्थिक नुकसान के लिए कुल या इसके कुछ भाग को पेंशन में से वसूल करने का अधिकार है ।

अध्याय-3

पेंशन के लिए अर्हक सेवा

3.1 यदि किसी विशेष उपबंध अथवा संविदा द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, किसी भी कर्मचारी की सेवा उसी समय से पेंशन के लिए अर्हक बननी शुरू होगी जब से वह अपनी पहली नियुक्ति वाले पद पर हाजिर होता है ।

3.2 मुआवजा उपदान के अतिरिक्त, सेवा को अर्हकता कर्मचारी के अठारह वर्ष की सेवा पूरी करने तक नहीं होगी ।

3.3 पेंशन के लिए सेवा अर्हकता से पहले निम्नलिखित सामान्य शर्तों की पूर्ति होनी आवश्यक है :—

पहली : सेवा यूनिवर्सिटी के अधीन होनी चाहिए, जैसा कि आगे परिभाषित किया गया है ।

दूसरी : इस सेवा के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा भुगतान किया गया हो, जैसा कि आगे परिभाषित किया गया है ।

3.4 सेवानिवृत्ति हितलाभों, जैसे कि सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, मुआवजा और अशक्तता पेंशन, सेवा उपदान, मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान के लिए अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर माना जाएगा बशर्ते कि अस्थायी सेवा में कोई विघ्न न आया हो ।

3.5 किसी कर्मचारी द्वारा निर्माण-प्रभारित के रूप में अथवा फुटकर खर्च में से की अदायगी पर की सेवा की भी पेंशन के लिए अर्हकता होगी, बशर्ते कि :—

1. इस सेवा के बाद विनियमित नियुक्ति हुई हो,

2. यह सेवा पूर्णकालिक सेवा हो (न कि अंशकालिक अथवा दिन के कुछ भाग के लिए) ।

3.6 निम्नांकित समय-अवधियों की पेंशन के लिए अर्हकता होगी :—

1. सारा काम, चाहे लगातार हो या अवरोधित,

2. छुट्टी की सारी अवधि जिसमें छुट्टियों का वेतन दिया जाता है,

3. कार्यग्रहण अवधि जिसमें वेतन और भत्ते दिए जाते हैं,

4. असाधारण छुट्टी की सभी अवधियां जो सेवा नियमों के अंतर्गत वेतन तरक्की के लिए गिनी जाती है,

5. अध्यापन/प्रशासनिक पद अथवा फैलोशिप अथवा शोध-और-अध्यापन पद अथवा तकनीकी/प्रशासनिक या शैक्षिक कार्य के लिए नियत कार्य स्वीकार करने के लिए मंजूर की असाधारण छुट्टी,

6. प्रशिक्षण अवधियां, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित हों,

7. परख-अवधि में की गई सेवा, यदि उसी या अन्य पद पर बाद में यह पक्का हो जाता है,

8. जिस कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है अथवा निकाल दिया गया है और अपील अथवा पुनरीक्षण उपरान्त उसे बहाल कर दिया है, वह अपनी पहली सेवा को पेंशन के लिए गिन सकता है, परन्तु बर्खास्तगी या निष्कासन की तिथि और बहाली की तिथि के बीच सेवाभंग की अवधि को नहीं गिना जाएगा जितनी देर बहाली के आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी के विशेष आदेश द्वारा इसे ड्यूटी अथवा छुट्टी के रूप में विनियमित न किया गया हो,

9. मुअत्तली की अवधि, यदि कर्मचारी को दोषों से पूर्णतया बरी कर दिया जाता है; अन्य हालतों में जहां कर्मचारी को पूर्णतया बरी नहीं किया जाता और किन्हीं अन्य कारणों से बहाल कर दिया जाता है, मुअत्तली की अवधि को केवल तभी गिना जाएगा यदि उस प्राधिकारी द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है जिसने उसकी बहाली के आदेश दिए थे;

10. भारत में अथवा भारत से बाहर विदेश सेवा में खर्च किया समय, यदि पेंशन के लिए अंशदान विदेशी नियोक्ता अथवा कर्मचारी ने स्वयं अदा किया हो ।

3.7 निम्नलिखित समय-अवधियों की पेंशन के लिए अर्हकता नहीं होगी :—

1. विशेष दण्ड के रूप में न्याय-निर्णीत मुअत्तली,

2. नैमित्तिक और दैनिक दर पर सेवा,

3. त्यागपत्र से पहले की सेवा, उन स्थितियों को छोड़कर जहां संबंधित नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार ऐसा त्यागपत्र वापिस लेने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाती है अथवा जब ऐसा त्यागपत्र, उचित अनुमति सहित, यूनिवर्सिटी के अधीन किसी अन्य नियुक्ति लेने के लिए दिया जाता है जहां सेवा की पेंशन के लिए अर्हकता होती है,

4. कार्यग्रहण समय जिसके लिए संबंधित नियमों के अधीन कोई वेतन और भत्ते नहीं दिए जाते,

5. शिक्षु के रूप में की गई सेवा,

6. छुट्टी से अधिक समय अनुपस्थित रहने की अवधि,

7. भारत से बाहर विदेशी सेवा की अवधि जब यूनिवर्सिटी को कोई पेंशन अंशदान नहीं दिया जाता ।

3.8 निम्नांकित स्थितियों में कर्मचारी की पिछली अर्हक सेवा का समयहरण किया जाता है :—

1. विनियम 3.7 (3) के अंतर्गत की गई व्यवस्था को छोड़कर सेवा से त्यागपत्र,

2. यदि अनुपस्थिति की अधिकृत छुट्टी के साथ ही अनुपस्थिति की अनधिकृत छुट्टी घटित होती है, और यदि अनुपस्थित व्यक्ति का मूल पद भरा जाता है, तो अनुपस्थित व्यक्ति की पिछली सेवा का समयहरण किया जाता है ।

3. दुराचार, दिवालियापन और अकुशलता के लिए सेवा से बरखास्तगी का अभिप्राय पिछली सेवा का समयहरण होगा, बशर्ते कि परीक्षा पास न करने की हालत में सेवा से बरखास्तगी का मतलब समयहरण नहीं होगा,

4. कर्मचारी की सेवा में ड्यूटी से जानबूझ कर अनुपस्थित रहने अथवा छुट्टी के बिना अनधिकृत अनुपस्थिति का अर्थ पिछली सेवा का समयहरण होगा ।

5. कलम छोड़ हड़ताल द्वारा किसी कर्मचारी द्वारा कर्त्तव्य पालन से जानबूझ कर की गफलत को ड्यूटी से जानबूझ कर की गई गैरहाजिरी माना जाएगा और इसे पहली सेवा का समयहरण समझा जाएगा ।

3.9 एक कर्मचारी जो किसी सेवा या पद पर नियुक्त किया जाता है, वह अधिवर्षिता पेंशन (किसी अन्य पेंशन के लिए नहीं) के लिए अपनी अर्हक सेवा में वास्तविक अवधि, जो उसकी सेवा की एक-चौथाई अवधि से अधिक नहीं होगी अथवा वास्तविक अवधि, जिससे नियुक्ति के समय उसकी आयु पच्चीस वर्षों से अधिक थी, अथवा पांच वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, जोड़ सकता है, यदि जिस सेवा या पद पर उसकी नियुक्ति हुई है वह ऐसी है :—

क. जिसके लिए पोस्ट-ग्रैजुएट शोध अथवा विशेष योग्यता अथवा वैज्ञानिक, औद्योगिकी अथवा व्यवसायिक क्षेत्र में अनुभव की आवश्यकता है, और

ख. जिसके लिए पच्चीस साल से अधिक आयु के उम्मीदवार साधारणतया भर्ती किए जाते हैं, बशर्ते कि यह रियायत उस कर्मचारी को नहीं दी जाएगी जब तक यूनिवर्सिटी सेवा छोड़ने के समय उसकी वास्तविक अर्हक सेवा दस वर्ष से कम की न हो ।

3.10 जो कर्मचारी सेवा में प्रवेश करने के समय अन्धा, बहरा, गूंगा, या किसी तरह शारीरिक तौर पर विकलांग हो, अथवा विधवा हो, वह अधिवर्षिता पेंशन के लिए अर्हक सेवा में 5 साल की अवधि जोड़ने के योग्य होगा ।

3.11 जो कर्मचारी सेवा करता हुआ अन्धा, बहरा, गूंगा या शारीरिक तौर पर विकलांग हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप उसे सेवा से निवृत्त किया जाता है, वह भी पेंशन के लिए अपनी अर्हक सेवा में पांच साल की अवधि जोड़ने के लिए योग्य होगा ।

3.12 जो कर्मचारी यूनिवर्सिटी नियमों के अनुसार 20 साल की अर्हक सेवा करने के बाद स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त हो जाता है, उसकी वास्तविक अर्हक सेवा में पांच साल की बढ़ोत्तरी की जाएगी, ताकि इस तरह से बढ़ाई कुल अर्हक सेवा किसी भी हालत में तैंतीस वर्ष या अर्हक सेवा की अवधि जो उस कर्मचारी ने उस समय पूरी की होती यदि वह अपनी सेवा निवृत्ति की सामान्य तिथि पर सेवा-निवृत्त होता, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ।

3.13 जिस कर्मचारी को अशक्त घोषित किया गया है और वह अशक्तता पेंशन पर सेवा-निवृत्त होता है, उसे अर्हक सेवा में पांच साल की बढ़ोत्तरी दी जाएगी । यदि इस बढ़ोत्तरी के बाद उसकी अर्हक सेवा दस साल से कम बनती है तो इसे पेंशन देने के लिए दस साल तक बढ़ाया जाएगा ।

3.14 कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय स्वायत्त निकाय अथवा पंजाब सरकार/पंजाब राज्य स्वायत्त निकाय, मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटियां/मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में की गई सेवा को उसके यूनिवर्सिटी सेवा में अंतर्लयन के पश्चात निम्नांकित शर्तों के अधीन पेंशन के लिए गिना जाएगा :—

1. यदि वह पेंशनी संस्था से संबंधित था, तो उस द्वारा की गई सेवा को यूनिवर्सिटी के अधीन पेंशन के लिए गिना जाएगा, चाहे वह पहली संस्था में अस्थायी या स्थायी तौर पर काम करता रहा हो । पहली संस्था यूनिवर्सिटी सेवा में उसकी अंतर्लयन की तिथि तक उस संस्था में की सेवा के लिए यथानुपात पेंशन/सेवा उपदान, मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान एकबारी अदायगी के रूप में इकमुश्त देकर अपनी पेंशन देयता का पालन करेगी । यथानुपात पेंशन का निर्धारण विनियम 7.2 के अंतर्गत निश्चित गणना तालिका के अनुसार किया जाएगा ।

2. यदि वह पहली संस्था में अंशदायी भविष्य निधि का हित लाभ ले रहा था, तो उसके लिए वह विकल्प होगा कि या तो वह पहली संस्था से अंशदायी भविष्य निधि का बनता लाभ प्राप्त करे और यूनिवर्सिटी में नए सिरे से सेवा आरम्भ करे, या फिर पहली संस्था से प्राप्त नियोक्ता का भविष्य निधि का ब्याज समेत हिस्सा छोड़कर अपनी पहली सेवा को यूनिवर्सिटी में पेंशन के लिए गिने और इस तरह उसकी भविष्य निधि की राशि यूनिवर्सिटी को अंतरित हो जाएगी ।

अध्याय-4

सेवा उपदान और पेंशन

4.1 कर्मचारी को दी जाने वाली पेंशन की राशि को उसकी अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है । इसकी गणना सम्पूरित आधा वर्ष के हिसाब से की जाएगी । वर्ष के तीन महीने या इससे अधिक के खंड को सम्पूरित आधा वर्ष माना जाएगा और पेंशन निर्धारित करने के लिए अर्हक माना जाएगा ।

4.2 यदि किसी कर्मचारी की अर्हक सेवा 10 वर्ष (20 आधे वर्ष) से कम है, वह प्रत्येक सम्पूरित छः मासिक सेवा-अवधि के लिए आधे महीने की दर के आधार पर परिकलित सेवा उपदान प्राप्त करने के योग्य होगा ।

4.3 जिस कर्मचारी ने 10 वर्ष (20 आधे वर्ष) या अधिक की अर्हक सेवा की है उसकी वार्षिक पेंशन की गणना ओसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर के हिसाब से की जाएगी, यदि उसकी अर्हक सेवा 33 वर्ष (66 आधे वर्ष) से कम न हो । उन हालतों में जहां अर्हक सेवा छियासठ आधे वर्षों से कम है, तो ग्रत्यता पेंशन की पहली औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के हिसाब से गणना की जाएगी और फिर वास्तविक रूप में की गई सम्पूरित आधे वर्षों की सेवा के अनुपात अनुसार कम कर दी जाएगी, बशर्ते कि पेंशन किसी भी हालत में 375/- रुपए प्रति महीना से कम नहीं होगी ।

मृत्यु उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान

4.4 जिस कर्मचारी ने पांच साल की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, उसे उसकी सेवानिवृत्ति पर अर्हक सेवा के प्रत्येक सम्पूरित आधे वर्ष की अवधि के लिए परिलब्धि की एक-चौथाई के हिसाब से सेवानिवृत्ति उपदान दिया जाएगा परन्तु यह उपदान "ए" और "बी" कोटि के कर्मचारियों की हालत में परिलब्धि का अधिकतम साढ़े सोलह गुना होगा और "सी" कोटि के कर्मचारियों के लिए साढ़े स्तारह गुना होगा, बशर्ते कि यह राशि किसी भी हालत में एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

4.5 यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान में मृत्यु हो जाती है, निम्नलिखित दर पर मृत्यु उपदान उस व्यक्ति/व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसे/जिन्हें विनियम 4.6 के अंतर्गत इस राशि को प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है ।

अर्हक सेवा की अवधि	उपदान की दर
1. एक साल से कम	परिलब्धि का 2 गुना
2. एक साल या अधिक परन्तु पांच साल से कम	परिलब्धि का 6 गुना
3. पांच साल या अधिक परन्तु बीस साल से कम	परिलब्धि का 12 गुना
4. बीस साल और अधिक	अर्हक सेवा की सम्पूरित छः मासिक अवधि के लिये आधी परिलब्धि परन्तु यह राशि परिलब्धि के 33 गुना से अधिक न हो बशर्ते कि मृत्यु उपदान किसी भी हालत में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

4.6 कर्मचारी अपने पक्के होने के बाद किसी भी समय किसी एक या अधिक व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम नामजदगी कर सकता है जिस/जिन को विनियम 4.5 के अधीन मंजूर किया उपदान और विनियम 4.4 के अधीन उसकी मृत्यु से पहले ग्राह्य कोई उपदान, जो उसकी मृत्यु से पहले उसे दिया न गया हो, प्राप्त करने का अधिकार दिया गया हो, बशर्ते कि यदि नामजदगी करते समय, कर्मचारी परिवार में रहता हो, तो यह नामजदगी परिवार के सदस्य के बिना किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नहीं की जा सकेगी ।

अध्याय-5

परिवार पेंशन और असाधारण पेंशन

परिवार पेंशन

5.1 परिवार पेंशन मृत कर्मचारी के परिवार को निम्नलिखित दरों पर देय होगी :

(क) यदि कर्मचारी जीवित रहता, तो पहले सात साल अथवा जब तक कर्मचारी 67 साल की आयु का न हो जाता, इनमें से जो भी कम हो :

कर्मचारी का वेतन	परिवार पेंशन की प्रति महीना दर
1. 1500 रुपये तक	वेतन का 60 प्रतिशत परन्तु कम से कम 750/-- रुपये।
2. 1501 रुपये से 3000 रुपये तक	वेतन का 40 प्रतिशत परन्तु कम से कम 900/— रुपये
3. 3000 रुपये से अधिक	वेतन का 30 प्रतिशत परन्तु कम से कम 1200/ रुपये और अधिक से अधिक 2500/-- रुपये

नोट : 1. ये दरें सभी लागू होंगी यदि कर्मचारी ने सेवा के दौरान में मृत्यु से पहले कम से कम सात साल की लगातार सेवा की हो ।

2. यदि पति और पत्नी दोनों ही कर्मचारी हैं, उनके पात्र बच्चे दोनों की मृत्यु हो जाने की हालत में दो परिवार पेंशनें लेने के योग्य होंगे—प्रत्येक की एक पेंशन—परन्तु यह पेंशन अधिक से अधिक 3000/- रुपये प्रति महीना होगी ।

(ख) सात साल के बाद या 67 साल की आयु पूरी कर लेने पर यदि कर्मचारी जीवित रहता :—

कर्मचारी का वेतन	परिवार पेंशन की प्रति महीना दर
1. 1500 रुपये तक	वेतन का 40 प्रतिशत कम से कम 375 रुपये।
2. 1501 रुपये से 3000 रुपये तक	वेतन का 30 प्रतिशत परन्तु कम से कम 600 रुपये।
3. 3000 रुपये से अधिक	वेतन का 20 प्रतिशत परन्तु कम से कम 900 रुपये और अधिक से अधिक 1500 रुपये।

नोट : 1. यदि पति और पत्नी दोनों ही कर्मचारी हैं, उनके पात्र बच्चे उन दोनों की मृत्यु हो जाने की हालत में दो परिवार पेंशनों के योग्य होंगे —प्रत्येक के लिए एक पेंशन—परन्तु यह पेंशन अधिक से अधिक 2250/- रुपये प्रति महीना होगी ।

2. परिवार पेंशन कर्मचारी की सेवा के दौरान में या सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने पर ही ग्राह्य होगी । सेवा के दौरान में मृत्यु हो जाने की हालत में कर्मचारी ने सेवा का बिना सेवा भंग हुए एक साल पूरा कर लिया हो। एक साल की सेवा की शर्त उस कर्मचारी की हालत में लागू नहीं होगी जिसके मैडिकल जांच के बाद सेवा में प्रवेश करने के योग्य घोषित किया गया हो ।

5.2 सेवा निवृत्ति के बाद मृत्यु हो जाने की हालत में, परिवार पेंशन तभी ग्राह्य है यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति को मृत्यु के समय तक पेंशन मिलती रही हो ।

असाधारण पेंशन और अशक्तता पेंशन

5.3 विनियम 5.4 से 5.7 तक वर्णित हितलाभ तभी लागू होंगे जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वह अशक्त हो जाता है और यह मृत्यु अथवा अशक्तता सेवा के कारण हुई हो अथवा सेवा द्वारा बढ़कर बनाई गई हो ।

5.4 मृत द्वारा की गई सेवा का लिहाज किए बिना परिवार पेंशन निम्नांकित दरों पर ग्राह्य होगी :—

(क) जब मृत कर्मचारी के पास पेंशनी पद न हो :

वेतन	परिवार पेंशन की प्रति महीना दर
1. 1500 रुपये तक	वेतन का 40 प्रतिशत परन्तु कम से कम 375/- रुपये
2. 1501 रुपये से 3000 रुपये तक	वेतन का 30 प्रतिशत परन्तु कम से कम 600/- रुपये
3. 3000 रुपये से अधिक	वेतन का 20 प्रतिशत परन्तु कम से कम 900 रुपये और अधिक से अधिक 1500 रुपये।

(ख) जब मृत कर्मचारी के पास पेंशन पद हो :

वेतन	परिवार पेंशन की प्रति महीना दर
1. 1500 रुपये तक	वेतन का 60 प्रतिशत परन्तु कम से कम 750/- रुपये
2. 1501 से 3000 रुपये तक	वेतन का 40 प्रतिशत परन्तु कम से कम 900/- रुपये
3. 3000 रुपये से अधिक	वेतन का 30 प्रतिशत परन्तु कम से कम 1200/- रुपये और अधिक से अधिक 2500/- रुपये।

5.5 यदि सेवा कारण हुई अशक्तता 60 प्रतिशत या इससे अधिक है और कर्मचारी स्थायी तौर पर विकलांग हो जाता है, तो उसे नीचे दिए दोनों विकल्पों में से किसी भी विकल्प के अनुसार अपनी पेंशन निर्धारित करवाने की खुल दी जा सकती है।

(क) ऊपर 5.4 (ख) में वर्णित दरों के अनुसार अशक्तता के लिए समाहित पेंशन (जिसमें साधारण नियमों के अधीन ग्राह्य अशक्तता पेंशन का अंश भी सम्मिलित है) ।

अथवा

(ख) साधारण नियमों के अधीन अशक्तता पेंशन और इसके अतिरिक्त हुए नुकसान के लिए 20,000 रुपये का एक बारी मुआवजा ।

5.6 यदि यूनिवर्सिटी के कारण हुई अशक्तता 60 प्रतिशत से कम है, तो एक बारी मुआवजा निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा, जो नियमों के अधीन ग्राह्य साधारण पेंशनी हितलाभों से अतिरिक्त होगा :—

(क) जहां अशक्तता 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक है=5000/- रुपये।

(ख) जहां अशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक और 60 प्रतिशत से कम है=10000/- रुपये।

5.7 जो कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ उग्रवादियों, डाकुओं, तस्करों और समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ की गई कार्यवाही में या उनके द्वारा किए प्रहार से मारा जाए, उसके परिवार के लिए विशेष परिवार पेंशन की दरें निम्नलिखित अनुसार होंगी :—

1. मृत्यु की तिथि से सेवा निवृत्ति की नोशनल तिथि तक	मृत कर्मचारी द्वारा मृत्यु के समय प्राप्त अन्तिम वेतन
2. सेवा निवृत्ति की नोशनल तिथि के बाद	जैसे कि ऊपर 5.4(ख) में दिया गया है।

5.8 जहां पेंशनर उग्रवादियों अथवा समाज-विरोधी तत्वों आदि द्वारा, ऐसे उग्रवादियों अथवा समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध की किसी कार्यवाही के बदले के परिणामस्वरूप सेवा के दौरान में अपना कर्तव्य पालन करता हुआ मारा जाता है, उसके परिवार को उन्हीं दरों पर विशेष अनुग्रहपूर्वक अनुदान और विशेष परिवार पेंशन प्रदान की जाएगी जो अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं । इस उद्देश्य के लिए उस द्वारा सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन को गिना जाएगा ।

5.9 यदि किसी कर्मचारी या पेंशनर का नजदीकी संबंधी उग्रवादियों या समाज-विरोधी तत्वों आदि द्वारा कर्मचारी या पेंशनर द्वारा की गई बदले की कार्यवाही में सेवा के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ मारा जाता है, तो मृत के परिवार को और अशक्तता 100 प्रतिशत होने की हालत में यदि वह यूनिवर्सिटी कर्मचारी नहीं है, 563/- रुपये प्रति महीना की दर से परिवार पेंशन दी जाएगी ।

5.10 5.3 से 5.9 विनियमों के लिए अशक्तता की सूची और पेंशन/मुआवजे की अदायगी के लिए कार्यविधि वही होगी जिसकी इस संबंध में सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित नियमों में व्यवस्था की गई है ।

अध्याय—6

अन्य हितलाभ

अनुग्रहपूर्वक अनुदान

6.1 यदि किसी विनियमित सेवा कर रहे कर्मचारी की सेवा के दौरान में मृत्यु हो जाती है, मृत द्वारा मृत्यु के तुरन्त पहले महीने प्राप्त परिलब्धि के बीस-गुना के बराबर का अनुग्रहपूर्वक अनुदान मृत कर्मचारी के परिवार को प्रदान किया जाएगा । अनुदान राशि कम से कम दस हजार रुपये और अधिक से अधिक बीस हजार रुपये होगी । जो कर्मचारी उग्रवादी कार्यवाही के दौरान में मारा जाता है उसकी अनुदान राशि उसकी परिलब्धि का चौबीस-गुना होगी, परन्तु यह राशि कम से कम एक लाख रुपये होगी ।

यात्रा रियायत

6.2 पेंशनर को दो साल के प्रत्येक ब्लाक को पूरा कर लेने पर एक महीने की मूल पेंशन के बराबर की यात्रा रियायत प्रदान की जाएगी, जो उसके सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद आने वाली जनवरी के महीने से गिनी जाएगी । बशर्ते कि उन कर्मचारियों की हालत में जो 1-1-1986 और इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, पहला ब्लाक उस साल की जनवरी के महीने से आरंभ होगा जिसमें इन विनियमों की अधिसूचना जारी की गई है ।

अध्याय–7

पेंशन का राशिकरण

7.1 कोई कर्मचारी किसी पेंशन के एक-तिहाई के बराबर, पेंशन के किसी खंड की एकमुश्त अदायगी, जो पूरे रुपयों में हो, के लिए पेंशन के राशिकरण के योग्य होगा, जो उसे इन नियमों के अन्तर्गत प्रदान की है या की जा सकती है । बशर्ते कि जिस कर्मचारी के विरुद्ध यूनिवर्सिटी द्वारा अदालती या विभागीय कार्यवाही शुरू की गई हो, या जिस पेंशनर के विरुद्ध यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसी कार्यवाही प्रारंभ की गई हो अथवा जारी हो, उसे इस कार्यवाही के लंबन के दौरान में अपनी पेंशन के किसी अंश के राशिकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.2 राशिकरण पर देय एकमुश्त राशि की, समय-समय पर पंजाब सरकार के नियमों द्वारा निर्धारित की गई तालिका के अनुसार गणना की जाएगी ।

7.3 (क) जो कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता पर आवेदन-पत्र सेवानिवृत्ति, रिटाइरिंग अथवा मुआवजा पेंशन की तिथि से एक साल के बीच पेंशन के राशिकरण के लिए देता है, वह बिना किसी मैडिकल जांच के इस मतलब के लिए नियत फार्म पर आवेदन-पत्र देकर अपनी पेंशन का राशिकरण करवाने के सक्षम है ।

(ख) आवेदन-पत्र रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाने पर राशिकरण निश्चित हो जाएगा ।

(ग) कर्मचारी इस विनियम के अधीन राशिकरण के लिए दिए आवेदन-पत्र को वापिस नहीं ले सकेगा ।

नोट : जो कर्मचारी इन विनियमों की अधिसूचना तिथि से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए एक साल की अवधि अधिसूचना जारी होने की तिथि से गिनी जाएगी ।

7.4 (क) विनियम 7.3 के अन्तर्गत मैडिकल जांच करवाए बिना पेंशन के राशिकरण का हितलाभ उस कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा :

1. जो अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है, अथवा

2. केवल उन स्थितियों को छोड़कर जहां यूनिवर्सिटी ने किसी अदालती अथवा विभागीय कार्यवाही की वजह से पेंशन को रोके रखा हो, जो पेंशनों के राशिकरण के लिए अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक साल के बाद आवेदन-पत्र देता है, इन स्थितियों में एक साल की अवधि पेंशन का अधिकार समाप्त किए बिना कार्यवाही समाप्त होने की तिथि से शुरू हुई मानी जाएगी ।

(ख) राशिकरण और मैडिकल जांच की कार्यविधि वही होगी जो इस संबंध में तैयार किए नियमों के अधीन सिंडिकेट द्वारा निर्धारित की जाएगी।

7.5 (क) इन विनियमों में निहित किसी अन्य तथ्य के होते हुए भी अधिवर्षिता पेंशन का राशिकृत भाग, जो सेवानिवृत्ति की तिथि से एक साल के अंदर राशिकृत किया जाता है, पेंशनर की 72 साल की आयु होने पर पुनः स्थापित किया जाएगा ।

(ख) दूसरी हालतों में जहां सेवानिवृत्ति की तिथि से एक साल बाद राशिकरण किया जाता है अथवा जब पेंशनर मुआवजा, अशक्तता या निवृत्ति पेंशन लेकर सेवानिवृत्त हो गया हो, पेंशन का राशीकृत भाग, इस संबंध में बनाए नियमों द्वारा निर्धारित ऐसी अवधि के बाद पुनः स्थापित किया जाएगा, परन्तु इसके लिए साधारणतया इस सिद्धांत को ध्यान में रखना पड़ेगा कि राशिकृत मूल्य और ब्याज को कम पेंशन लेकर यूनिवर्सिटी को लगभग पूरा वापिस कर दिया गया हो।

अध्याय–8

पेंशनरों की पुनर्नियुक्ति

8.1 जब किसी व्यक्ति की, जो पहले किसी सरकारी या स्वायत: संस्था में नियुक्त था, स्थायी या अस्थायी रूप में यूनिवर्सिटी में पुनर्नियुक्ति हो जाती है, उसे नियुक्ति प्राधिकारी के सामने यह घोषणा करनी पड़ेगी कि उसे पहली नौकरी के समय बोनस या अथवा पेंशन की कितनी राशि मिलती थी । नियुक्ति प्राधिकारी निर्णय लेगा कि इन विनियमों के अनुसार उसकी पेंशन या वेतन में से कोई कटौती करनी है या नहीं ।

8.2 वह यूनिवर्सिटी कर्मचारी, जो मुआवजा पेंशन या अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ है, परन्तु बाद में उसके स्वास्थ्य में सुधार आ गया है, उसकी यदि अर्हक सेवा में पुनर्नियुक्ति की जाती है, वह या तो अपनी पेंशन बनाए रख सकता है जिस हालत में उसकी पहले सेवा को पेंशन के लिए गिना नहीं जाएगा, या इसे वापस करेगा और अपनी पहली सेवा पेंशन के लिए गिनेगा ।

8.3 वह यूनिवर्सिटी कर्मचारी जो मुआवजा पेंशन पर सेवानिवृत्त हो जाता है, यदि उसकी पुनर्नियुक्ति हो जाती है, वह अपने वेतन के अतिरिक्त अपनी पेंशन भी रख सकता है, परन्तु शर्त यह है कि उसकी पेंशन पूर्ण या आंशिक रूप में निलंबित रहेगी, यदि पेंशन और पुनर्नियुक्ति पर उसके प्रारंभिक वेतन की कुल राशि सेवानिवृत्ति से तुरन्त पहले उसके मूल-पद वेतन से अधिक हो, अर्थात् वह अपनी पेंशन का केवल उतना भाग ही निकलवा सकता है जो सेवानिवृत्ति के समय उसके प्रारंभिक वेतन और उसकी पेंशन को मिलाकर उसके मूल पद वेतन के बराबर बनता हो । एक बार यदि इस शर्त के अनुसार उसकी पेंशन की राशि निश्चित हो जाती है, तो उसकी पेंशन में अधिक कटौती किए बिना वह अपने नए वेतनमान अथवा तरक्की से किसी अन्य स्केल और पद प्राप्त कर लेने पर तरक्की के हितलाभ प्राप्त करने के योग्य होगा ।

8.4 यदि मुआवजा पेंशन प्राप्त करने के बाद पुर्ननियुक्ति अर्हक सेवा में है, तो कर्मचारी या तो अपनी पेंशन बरकरार रख सकता है जिस हालत में उसकी पहली सेवा को पेंशन के लिए नहीं गिना जाएगा या उसे अपनी पेंशन का कुछ भाग छोड़कर पहली सेवा को गिनना होगा। मध्यवर्ती काल में निकलवाई पेंशन को वापिस करने की आवश्यकता नहीं है।

8.5 जो कर्मचारी अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत हुए हैं, उनकी पुर्ननियुक्ति भी विनियम 8.3 और 8.4 द्वारा विनियमित होगी।

8.6 जो कर्मचारी अधिवर्षिता या सेवानिवृत्त मूलक पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है, उसे सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति पर केवल अस्थायी हैसियत में पुर्ननियुक्त किया जा सकता है। ऐसे पुर्ननियुक्त पेंशनरों का वेतन निर्धारित करने में निम्नांकित नियमों का पालन किया जाएगा :—

1. वेतन सेवानिवृत्ति से तुरन्त पहले लिए जा रहे मूल-पद वेतन से अधिक न होगा, अथवा जिस पद पर उसे पुर्ननियुक्त किया गया है, उस स्केल का अधिकतम होगा इनमें से जो भी कम हो वही लागू होगा।
2. जब किसी व्यक्ति को अधिवर्षिता के बाद पुर्ननियुक्त किया जाता है, तो उसका वेतन, पेंशन और राशीकृत भाग मिलाकर सेवानिवृत्ति से तुरन्त पहले लिए वेतन, अथवा जिस पद पर उसे पुर्ननियुक्त किया गया है, उसके अधिकतम वेतन, इनमें से जो भी कम हो से अधिक नहीं होगा।

8.7 जब किसी व्यक्ति को पेंशन देकर बाद में पुर्ननियुक्त किया जाता है, वह अपनी नई सेवा को अलग पेंशन के लिए नहीं गिन सकता। पेंशन पुरानी और नई सेवा को मिलाकर एक सेवा मान लेने पर ही केवल स्वीकार्य है।

8.8 यदि कोई कर्मचारी मुआवजा अथवा अशक्तता पेंशन लेकर पेंशनी सेवा में पुर्ननियुक्त हो जाता है और पेंशन प्रतिधारण करता है (विनियम 8.3 से 8.5) तो उसकी अनुवर्ती सेवा के लिए स्वीकार्य पेंशन अथवा उपदान इस शर्त के अन्तर्गत होगा कि उपदान अथवा पेंशन का पूंजीगत मूल्य, अंतिम सेवानिवृत्ति के समय ग्राह्य पेंशन के मूल्य में अन्तर से अधिक नहीं होगा; यदि सेवा की दो अवधियों को मिला लिया जाए और पहली सेवा के लिए पेंशन का मूल्य पहले ही प्रदान कर दिया गया हो।

अध्याय—9

पेंशन की संस्वीकृति और अदायगी की विधि

9.1 पेंशन की अदायगी में हुआ विलम्ब पेंशनर के लिए मुश्किल खड़ी करता है। कुलपति समय-सारिणी बनाएगा और सेवानिवृत्त व्यक्ति की पेंशन शीघ्र मंजूर करने और पेंशन और अन्य देयों की समय पर अदायगी को सुनिश्चित बनाने के लिए कार्यविधि निर्धारित करेगा। यह उन सभी लोगों को यकीनी बनाना चाहिए जो पेंशन की संस्वीकृति और अदायगी में संबंधित हैं कि अदायगी देय तिथि को अवश्य होनी चाहिए।

9.2 यदि पेंशन और अथवा मृत्यु उपदान/सेवानिवृत्ति उपदान की अदायगी इसकी देय तिथि से तीन महीने से अधिक विलंबित कर दी जाती है तो सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित नियमों द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर ये हितलाभ देय होने की तिथि से तीन महीने से अधिक समय लगने की हालत में ब्याज दिया जाएगा।

अध्याय—10

शक्तियों का प्रत्यायोजन

10.1 इन विनियमों के अधीन निम्नलिखित प्राधिकारी सक्षम अधिकारी की शक्ति का प्रयोग करेंगे :—

क्रमांक	विनियम अंक	शक्ति की प्रकृति	जिस प्राधिकारी को शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है।	शक्ति की सीमा
1	2	3	4	5
1.	2.2	पेंशनर के गम्भीर दुराचरण के कारण पेंशन या उसका कुछ भाग रोक रखने या निकालने की शक्ति	सेवा निवृत्ति के समय पेंशनर के पद पर नियुक्ति करने का सक्षम प्राधिकारी	पूर्ण शक्ति
2.	3.6 (vi)	प्रशिक्षण पर खर्च किये किसी समय को पेंशन के लिये गिनने की शक्ति	1. सिंडिकेट 2. कुलपति 3. डीन आफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन रजिस्ट्रार (जैसी भी स्थिति हो)	क्लास "ए" के लिये क्लास "बी" के लिये क्लास "सी" के लिए
3.	अध्याय—4	सेवा उपदान पेंशन और मृत्यु उपदान सेवा निवृत्ति उपदान मंजूर करने की शक्ति	1. कुलपति	ए० और बी क्लास के कर्मचारियों के लिये।
4.	अध्याय—5	परिवार पेंशन, असाधारण पेंशन, और अशक्तता पेंशन मंजूर करने की शक्ति	डीन आफ यूनिवर्सिटी इन्स्ट्रक्शन/रजिस्ट्रार (जैसी भी स्थिति हो)।	क्लास "सी" के कर्मचारियों के लिये
5.	6.1	अनुग्रहपूर्वक उपदान मंजूर करने की शक्ति		
6.	7.3 और 7.4	पेंशन का राशीकरण मंजूर करने की शक्ति		
7.	9.2	पेंशनरी हितलाभों की विलम्बित अदायगी पर ब्याज की अदायगी के लिये मंजूरी देने की शक्ति	कुलपति	पूर्ण शक्तियां : विलम्बित अदायगी की हालत में विलम्ब के लिये जिम्मेदारी निश्चित करनी चाहिये।

10.2 ऊपर कालम 4 में वर्णित प्राधिकारी कुछ शर्तों के अधीन अपनी शक्तियों की पूर्ण सौंपना अपने अधीन काम कर रहे किसी प्राधिकारी को कर सकता है। परन्तु इस तरह पुर्नसौंपना की गई शक्ति की आगे पुर्नसौंपना नहीं की जा सकती।

चण्डीगढ़—160014 अशोक राज भण्डारी,
दिनांकित 17—09—1993 डिप्टी रजिस्ट्रार (जनरल)

मेरी उपस्थिति में आज 17—09—1993 को पंजाब यूनिवर्सिटी की सामान्य मुहर द्वारा मुहरबन्द

बी० एस० गुप्ता,
रजिस्ट्रार

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS

Bombay, the 1993

In pursuance of Rule 18 of the rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act., 1944 and published in the Gazette of the 20th April, 1946 [as amended under the Notification No. F(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the notification in extra ordinary Gazette No 67 dated 21st February 1990] the following list (for the month ended 28th February 1993) is hereby advertised of Securities lost etc. in respect of which prima facie ground : exists for believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just. all persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the chief accountant, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank accounts Central Debt Division, Bombay.

The list has been divided into two parts : List 'A' being securities now advertised for the first time and list 'B' the list of securities provious by advertised.

LIST 'A'

MADRAS CIRCLE

Sl. No.	No. of security	Value in gms.	In whose name issued	From what date bearing interest.	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/ or payment of discharge value.	No. and date of order issued.
			National Defence Gold Bonds 1980 'B' Series			
1.	MS 001002	12 gms.	T. M. Chinnasamy	7-1-66	T. M. Chinnasamy	JM DY. No. 99 dated 15-2-93 (LN 2365)

LIST—'B'

No. of Security	Value Rs./Gm.	In whose name issued	from what date bearing interest	Name/s of the claimants for issue of duplicate/payment of discharge value	No. and date of order issued	Date of publication under P. D. Act of 1944 of list in which the Security was first published.
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
		BOMBAY CIRCLE				
		6.25% Loan 1996				
BY 003759 BY 003760 BY 003761	1,00,000 1,00,000 1,00,000	The Memon Co. op. Bank Ltd. Bombay-400003.	1-6-1992	The Memon Co-op. Bank Ltd Bombay-400003.	Case No. 20-4-1979 Jt. Managers orders dated 23-1-1993 Central Office Diary No. 453, dated 25th January, 1993	—
		MADRAS CIRCLE				
		National Defence Gold Bonds 1980 'B' Series				
MS 0177532	9 gms	C. P. Karuppiah (Since deceased)	27-10-67	K. Dhanalakshmi	JM DY No. 119 dated 19-5-92 (LN 2627)	—

1	2	3	4	5	6	7
MS 035316	2 gms.	V. P. Philip	27-10-67	V. P. Philip	JM DY No. 48 dt. 12-10-92 (LN 2628)	—
MS 016504	10 gms.	G. Sabapathy	27-10-66	G. Sabapathy	JM DY No. 64 dt. 29-10-92 (LN 2255)	—

NAGPUR CIRCLE

National Defence Gold Bonds 1980—'B' Series

MG 001481	30 gm.	Satyanarayan Tiwari (deceased)	27-10-66	Yogesh Narayana Tiwari	Co. 380 dt. 30-6-1992.	—

BANGALOR CIRCLE

3 ½% National Plan Loan 1964

BI 001568*	500	Reserve Bank of India.	19-4-1958	K. Thippaiah	File No. LN 305 Jt. Manager's order dt 14-9-89 & Co. approval dt. 12-12-89.	—

*Immediate issue of duplicate bonds/payment of discharge value authorised.

KANPUR CRICLE

National Defence Gold Bonds— 'A' Series

KN 000462	12 gms of gold.	Mahabir Prasad Dage	27-10-66	Mahabir Prasad Daga	Co. JR. 2304/50 dt. 30-3-88 LNG-138	5-11-88

The Chief Accountant,
Reserve Bank of India,
D. G. B. A., Bombay-400051.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Bombay, the 16th April 1993

No. 3WCA(8)15/92-93.—In pursuance of Regulation 10 (i) (iv) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulation 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been stand cancelled from the dates mentioned against their names as they had not paid their annual fees for the Certificate of Practice.

S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
01.	007148	Mr. Sampat Parmanand Purshottam, ACA Flat 27, II Floor Maheshwar Niwas, Tilak Road, Santa Cruz West, Bombay-400054	09-12-91
02.	007613	Mr. Shah Kumud Chandra, Mafatlal, FCA 19 Mangal Park, New Vikas Gruh, Paldi, Ahemdabad-380007.	09-12-91
03.	008072	Mr. Bhagwat Sharash Chandra Bal Chandra, FCA 9, Amardeep Jyoti Society, Abhinav Vidyalaya Lane, Karve Road, Pune-411004	09-12-91
04.	008863	Mr. Parikh Arun Kumar, Natwar Lal, FCA 402, Gokul IV Floor, Goras Wad Rd. Behind Milap Cinema Malad West, Bombay-400064.	01-10-90
05.	022272	Mr. C. Sudershan Rao, ACA Videsh Sanchar Nigam Ltd. Videsh Sanchar Bhawan, Mahatma Gandhi Road, Bombay-400001	01-10-90
06.	035166	Mr. Paratra Thomas, ACA 4 Jo-Liza, 30 Sasmira Marg, Prabha Devi, Bombay-400023	09-12-91
07.	037200	Mr. Shah Arvind Kumar Ranchhod Lal, ACA Asstt. Accts. MGR IFFCO, Kandla Unit, Accounts Deptt. Post Box No. 12, Post Kandla, Kandla, Kutch-370201	09-12-91
08.	037268	Mr. Desai Sunil Manvantray ACA 10-B, Janta Nagar Society, Siayad Vasana Road, Baroda-390013	01-10-90

1	2	3	4
09.	037270	Mr. Shah Nilesh Shanti Lal, ACA 31 Shanta Smruti Riddhi Siddhi Ngar, Veera Desai Road, Andheri West, Bombay-400058	09-12-91
10.	037278	Mr. Dubash Freddy Rusi, ACA 3-A, Karai Estate Tardeo Road, Bombay-400007.	09-12-91
11.	037305	Mr. Thite Abhay Prabhakar, ACA 30/2, Kanchan Pandurangwadi Goregoan, East Bombay-400068	09-12-91
12.	037912	Mr. Panchmia Nirav Chiman Lal, ACA 7, Saurashtra Soc. 7th Road, T P S III, Shanta Cruz East, Bombay-400055	01-10-90
13.	038647	Mr. Khan Ishtiaq Ahmed Serajul Haq, ACA 61, Jolly Maker Apts No. 2, 94, Cuffee Parade, Bombay-400005	09-12-91
14.	038730	Mr. D. Souza Dolphy John, ACA 3/73-74, Noor Banu Mansion, Telly Gully Kala Chowki, Bombay-400012	09-12-91
15.	039466	Mr. Subramanian Prakash, ACA Flat No. 2-A, Wing Kuber APTS S Ambadi R, Vasai West Vasai-401202	09-12-91
16.	039959	Mr. Venkatesh Srinivasan, ACA D-3, Adinath Coop S M D Rd Antop Hill, Bombay-400037	09-12-91
17.	039968	Ms. Hamza Bhairazia Abbas, ACA 4/3414, Haiderali Kasamji St. Begampura Zampa Bazar Begampura Aamkhas, Surat-395003.	09-12-91
18.	040097	Mr. Parekh Paresh Ashok ACA 6/269, Nandanvan Bldg. Sion West, Bombay-400022	09-12-91
19.	040163	Ms. Ramanathan Geetha, ACA 98, Jyoti Kailash Society, Satelite R, Ahmedabad-380015	01-10-90
20.	040265	Mr. Ranade Surendra Yashwant, ACA Mrs, M Y Ranade 14, Anubandh Nea, Tilak High School, Tilak Nagar, Dombivli-421201	09-12-91
21.	040572	Mr. Balasubramanian V, ACA No. 8, Abilash Hare Krishna Marg, P. O. IIT Powai, Bombay-400076	09-12-91
22.	040813	Mr. Joshi Vipul Harsukhlal ACA Bhavna Block-H, Flat No. 7 S X Rd. Kandivli West, Bombsy-400067.	09-12-91
23.	041023	Mr. Ghotgalkar Chetan Durgesh, ACA 1, Jeevan Parag Rd, No. 2, T. P. P. S. V. Prabhat Clny. Shanta Cruz, East, Bombay-400055.	09-12-91
24.	041352	Mr, Mundra Krishna Kumar Ram Prashad, ACA 41, Shalaka Behind Y.M C.A. Bombay-400058.	09-12-91
25.	041473	Mr. Doshi Hitendra Kumar Jambu Kumar, ACA B/15, Laxmi Apts, Behind H. L. Commercial College, Ahmedabad-380009.	09-12-91
26.	041743	Mr. Gandhi Nitin Babulal ACA D/6, Satluj Sahakargram, Ashok Nagar Cross Rd, No. 3, Kandivle (E,) Bombay-400101.	09-12-91
27.	041726	Mr. Hariharan Vijay Kumar, ACA A/7, Kshema 2nd Floor, T.P.S. VI, 5th Road, Santa Cruz West, Bombay-400034.	09-12-91
28.	042133	Ms. Naik Seema Vasant ACA Block A/3, Yashodar Society, J. P. Nagar Road No. 5, Goregaon (East), Bombay-400068.	09-12-91
29.	042198	Ms. Coutinho Karen, ACA Jasmine APTS 10th Floor, Dockyard Road Mazagon, Bombay-400010.	09-12-91
30.	042347	Mr. Iyengar Srinivasan Sundara-rajan, ACA B-5, Satguru Apts, Nr. Hotel Golden Place, Old Agra Road, Thane-W-400601	09-12-91
31.	042362	Mr. Pinto Melville Michel, ACA 9, Sangita St. Pius C Soc. Nahur Mulund, Bombay-400080.	01-10-90
32.	042703	Mr. Ghos Surendra Kumar, ACA 2/2, Ganapati Villa, Behind Partap Cinema, Thane-400601.	09-12-91
33.	042817	Mr. Mallya Krishna, ACA K. J. Mallya Flat No. 8 A-6/7 Happy Jeevan, Jeevan Bima Nagar, Borivli West, Bombay-400103.	09-12-91

1	2	3	4
34.	042949	Mr. Limaye Pramod Purushottam, ACA Shanti Sagar Apts, Block No. 5, 1140 Sadashiv Peth, Opp. Shivaji Mandir, Pune-411030	09-12-91
35.	043026	Ms. Nair Sankara Narayanan ACA 71 Kenilworth, Peddar Road, Bombay-400206	09-12-91
36.	043030	Mr. Iyer Venkatesh Krishnamoorthy, ACA 202/217 Sunderan V. Wing B Malad East Bandongiri, Bombay-400097	09-12-91
37.	043078	Mr. Bhansali Ashish Mahendra Bhai, ACA Atul Products Ltd., Finance Deptt. P. O. Atul, Valsad-396020.	09-12-91
38.	043087	Mr. Thakur Sanjaya Sunder Lal ACA 204, Ashwini, Apna Ghar, 4 Bunglows Andheri West, Bombay-400058.	09-12-91
39.	043130	Mr. Narayanan Nambisan Mohanan, ACA 5/3/26, Vishramsthal Soci. Bangur Nagar, Goregaon West Bombay-400090	09-12-91
40	043233	Ms. Kapur Kanika, ACA C/o. Price Water House, 1102, Raheja Chambers, Nariman Point, Bombay-400021.	09-12-91
41.	043608	Mr. Agale Prakash Balwant ACA K L 5/47/10, S—3E, Kalamboli, New Bombay-410218.	09-12-91
42.	043723	Mr. Dhuru Yash Vasant ACA 13/398, Shastri Nagar, Goregaon West, Bombay-400104.	09-12-91
43.	043921	Mr. Shah Tushar Jamnadas, ACA 5 1ST Floor Ram Krishna Niwas, Prarthna Samaj Road, Vile Parle East, Bombay—400057	01-10-90
44.	043953	Ms. Iyer Lata Krishnan, ACA 3, Tej Kiran, Mulund East, Bombay-400081.	09-12-91
45.	044072	Mr. Gholkar Santosh Raja, Ram, ACA 257, Walkeshwar Road, Bombay-400006.	09-12-91
46	044221	Mr. Mahesh Kumar Ram Niranjan Jalan, ACA R. No. 5, Laxmi Society, Plot No. 299, Pant Nagar, Ghatkoper East, Bombay—400075	09-12-91
47	044438	Mr. Kamani Suramya Navin ACA Ferbhin 3rd Floor, 31, Pochkhanawala Road, Worli, Bombay-400025.	09-12-91
48.	044450	Mr. Rindani Umesh Jyotirvadan, ACA 201, Jupiter APTS, Twin Star Jupiter Co-op. Hsc. Soc., 41 Cuffe Parade, Bombay-400005.	09-12-91
49.	044658	Ms. Iyer Geeta Venkatesh, ACA 202-217 Sunderam V, Wing B, Malad East, Bombay-400097.	09-12-91
50.	044838	Mr. Ganesh Venugopalan, ACA B-6, Shri Ganesh Co-op Hsg. Society, N R Apna Bazar, Mulund West, Bombay-400080.	09-12-91
51.	044861	Mr. Naresh Beni Prashad Parasrampuri, ACA C / 1 / 33, Textile Co-op. Hsg. Soc., opp. Veer Savarkar Marg Prabha Devi, Bombay-400025.	09-12-91
52.	072077	Mr. Gupta, Suresh Chan, ACA Finance Controller Broach, Textile Mills, M C Road, Bharuch-392001.	01-10-88

A. K. Majumdar,
Secretary

The 13th May 1993

No. 3WCA(8)18/92-93.—In pursuance of Regulation 10(1)(iv) read with Regulation 10(2)(b) of the Chartered Accountants Regulation 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been stand cancelled from the dates mentioned against their names as they had not paid their annual fees for the Certificate of Practice.

S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
01.	009855	Mr. Mitra Dilip Kumar, ACA D 2/7, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001.	01-10-92
02.	010000	Mr. Joshi Padmanabh Bhai Shanker, FCA B-201, Vaibhav APTS, Old Prabha Devi Road, Bombay-400025	01-10-92

1	2	3	4
03.	010029	Mr. Mehta Jagat Mohan Bhogi Lal, FCA E/8, Commerce Centre, Tardeo Road, Bombay-400084.	01-10-92
04.	030390	Mr. Shah Kamal Nayan Shanker Lal, FCA 106, Nimbalkar Chambers, Jambudet Dandia Bazar, Baroda-390001.	01-10-92
05.	032065	Mr. Vazirani Shyam Jhamna Das, FCA Flat No. 36, Mukta Bldg. Peru Bagh, Aarey Road, Goregaon East, Bombay-400063.	01-10-92
06.	032261	Mr. Parikh Shirish Shanti Lal, ACA Parikh S. S. & Co. 27, Chakla Cross Lane, Bombay-400003.	01-10-92
07.	032552	Mr. Dhave Ram Mohan, Nilkanth, FCA A-2, NFI Colony Bhestan, Surat-395023,	01-10-92
08.	032995	Mr. Thakker Pravin Jamnadas, B. com-H ACA Post Box No. 5561, RUWI, Oman-	01-10-92
09.	033541	Mr. Joshi Balkrishna Sharad, B. com—H ACA 11, Aniket Pandrangwadi, Goregaon E Bombay-400063	01-10-92
10.	034226	Mr. Radha Krishanan S, ACA 33, Madhu Mukund., Sion East, Bombay-400022.	01-10-92
11.	034472	Mr. Parikh Kamlesh Shanti Lal, ACA 3/20, Dhootpapeswar Prasad, Mangalwadi Girgaum Road, Bombay-400004	01-10-92
12.	034534	Mr. Shah Deepak Ramniklal, FCA 308, Perin Nariman St. Behind Reserve Bank of India Bombay-440001.	01-10-92
13.	034740	Mr. Gadia Suresh Kumar, FCA Gadia U Asso Room No. 49, III Floor, Nand Bhawan, 59/61, Babu Genu Road, Bombay-400002	01-10-92
14.	034902	Mr. Dusad Shivlal Ful Chand, FCA Office No. 25, Highway, Towers Pune Bombay Road, Ghinghwad, Pune-411019	01-10-92
15.	036354	Mr. Naganathan G, ACA 100, Morvenlie Court 1044 Scandorouch Ont, M I E 4 x 2 Canada—0	01-10-92
16.	036461	Mr. Rathi Kamal Kishore Than Mal, ACA 3, Shiv Sadan, Siddharth Nagar, 17th Road, Goregaon (West), Bombay-400062	01-10-92
17.	036625	Mr. Allana Najmuddin Noor, ACA 4/16, Canopus APTS Boat Club Road, Pune-411001	01-10-92
18.	040021	Ms. Simi Dalip Kumar, ACA A-7, Western Railway Officers Flats, IMC Marg, Church Gate, Bombay-400020	01-10-92
19.	044248	Ms. Crasta Sharon, ACA A-53, Ashiana, St, Jhon Baptist Road, Bandra, Bombay-400 050	01-10-92
20.	044333	Mr. Parul Narindrakumar Shah, ACA 4, Shiv Shakti Society, Nr. Jalaram Temple Karelibaug, Baroda-0	01-10-92
21.	045942	Mr. Bhayani Jayesh Champaklal, ACA 701 Ravjibhai Towers Station Road Maninagar Ahmedabad-380 008.	01-10-92
22.	074169	Mr. U.C. Agrawal, ACA C-1/5, Sawitri Vihar Nr. Somalwara Bus Stop Wardha Road Nagpur-440 025.	01-10-92

A.K. MAJUMDAR Secy.

BHAKRA BEAS MANAGEMENT BOARD

Chandigarh, the 13th August 1993

No. 26094/R&R/24/86/R-4.—In exercise of the powers conferred by clauses (a) & (b) of sub-section (9) of Section 79 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Bhakra Beas Management Board, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Bhakra Beas Management Board (Conduct of Meetings and Powers and Duties of Chairman and Officers of the Board) Regulations, 1976, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Bhakra Beas Management Board (Conduct of Meetings and Powers and Duties of Chairman and Officers of the Board) Amendment Regulations, 1993;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In clause (b) of Regulation 2 of the Bhakra Beas Management Board (Conduct of Meetings and Powers and Duties of Chairman and Officers of the Board) Regulation, 1976, for the words "Additional Secretary" the words "Special Secretary" shall be substituted.

Sd/- ILLEGIBLE
Secretary
Bhakra Beas Management Board

PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH

Notification No. 2/93 G.R.—The Central Govt. (Ministry of Human Resource Development, Department of Education), have accorded approval vide their letter No. F 23-7/91-U. 1 dated 17-8-1993 to the following Regulations :-

CHAPTER I

Extent of Application and Definitions

1.1. These Regulations which have been issued under Section 31(2) (e) of the Panjab University Act, 1947 (as amended from time to time), be called Panjab University Employees (Pension) Regulations, 1991. These shall be deemed to have come into force from 1st January, 1986.

1.2 The provisions of these Regulations shall apply to:-

(a) all employees who join service under the University on or after the date of notification of these Regulations:

(b) (i) the employees who joined the service of the University before the date of notification of these Regulations; and

(ii) the employees who retired prior to the date of notification of these Regulations if they specifically elect to be governed by these Regulations by exercising an option as provided in Regulation 1.9 infra.

1.3. In the case of employees governed by these Regulations, the provisions relating to the Contributory provident Fund and Gratuity, contained in the Regulations Chapter VI 'Conditions of Service of University Employees' Calendal Vol. I,1989 and the rules framed there under shall not be applicable.

1.4. These Regulations shall apply to the employees as defined under Regulation 1.5 (iii).

1.5. Unless there be something repugnant in the subject or context, the terms defined in this Chapter are used in these Regulations in the sence here explained :-

(i) "Average Emoluments" means the average calculated upon the last ten months of qualifying service.

(ii) "Competent Authority" means the appointing authority or such authority to whom the special powers are delegated.

(iii) "Employee" means any person appointed in the service of Panjab University but shall not include person employed on contract, part-time or daily wage basis or Work-charged or employed under any project/scheme financed by the University Grants commission, or similar other bodies.

(iv) "Emoluments" means the emoluments which an employee was receiving immediately before his retirement or date of his death, and shall include basic pay, special pay (including non-practicing allowance granted to medical officers), personal pay dearness pay (as and when declared by the University) and such other items as may be declared as pay for the purpose of pension by the University.

(v) "Qualifying Service" means the service that qualifies for pension under these Regulations. It shall be reckoned in terms of completed half year, provided that the fraction equal to three months and shall be treated as completed half year.

(vi) "Registrar" means the Registrar of the Panjab University or any other person exercising the power of the Registrar for the time being.

(vii) "Syndicate" means the Syndicate of the Panjab University.

(viii) "University" means the Punjab University.

(ix) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the Panjab University or any other person exercising the power of the Vice-Chancellor for the time being.

1.6 Unless otherwise provided in these Regulations, an employee's claim to pension will be regulated by the Regulations in force applicable to him at the time he retires from, or, otherwise quits the service, any subsequent amendment in the Regulations being not applicable in his case.

1.7. In the matter of application of these Regulations, regard may be given to the corresponding provisions of pension rules contained in the Punjab Civil Services Rules, Vol. II, as amended from time to time, insofar as, these can be adopted to the service in the University, but subject to such exceptions and modifications, as the University may from time to time, determine through Regulations.

1.8. The Syndicate shall frame rules necessary for the proper application and implementation of the Provisions contained in the Regulations.

1.9. (a) The employees who joined the service of the University before the date of notification of these Ragulations shall have the option :-

(i) to continue to be governed by the Contributory provident Fund-cum-Gratuity Scheme contained in chapter VI "conditions of Service of University Employees" of the Panjab University Calendar, Vol. I, 1989.

OR

(ii) to elect to be governed by the Pensionary Scheme contained in these Regulations.

(b) (i) In the case of an employee who elect the alternative under sub-clause (a) (ii) above, the total contribution of the University to his C.P. Fund Account as on the date of notification of these Regulations or the date of retirement whichever is earlier, alongwith interest thereon, shall be transferred from his C.P. Fund Account or adjusted against pension payments payable w.e.f. 1-1-1986 for being credited to the University Pension Fund (Corpus).

(ii) The employee's share of C.P. Fund, as on the date of notification of these Regulations alongwith interest thereon, shall be trasferred to his General Provident Fund Account to which he shall subscribe compulsorily under the rules of that fund as prescribed by the University from time to time.

(c) The option shall have to be exercised within such period as may be decided by the Syndicate and once exercised shall be final and irrevocable.

(d) Those who fail to exercise the option within the period prescribed under Clause (c) above shall be deemed to have elected for continuing under the C.P. Fund and Gratuity scheme mentioned in sub-clause a (i) above.

(e) The employees who retired prior to the date of notification of these Regulations may, if they so desire, elect to be governed by these Pension Regulations, subjects to the condition that they refund or adjust against pension payments payable to them, the University's contribution to their C.P. Fund, including interest thereon, as received by them from the University for being credited to the University Pension Fund (Corpus). The University would neither charge any interest on this amount of University share of C.P. Fund nor would pay any interest to the employee on the arrear pension which may be payable w.e.f. 1-1-1986 i.e. from the date of coming into force of the Pension Scheme.

1.10. An employee who is recruited at the age of thirty five years or more, may within a period of three months from the date of his appointment elect not to be governed by the Regulations of the Pensionary Scheme, where upon he shall be eligible to be governed by the Contributory Provident Fund and Gratuity Scheme contained in the Regulations "Condition of Service of University employees" Calendar Vol. I, 1989 and the rules framed thereunder.

CHAPTER 2

General Provisions relating to grant of Pension

Classification of Pensions

2.1. Pensions are classified as under :—

1. Compensation Pension : It shall be granted to an employee who is descharged from service on account of the abolition of the post held by him, when it may not be possible to offer him another equivalent post.

2. Invalid Pension : It shall be granted to an employee on his retirement when, by bodily or mental infirmity which, permanently incapacitates him for the service if certified by the Chief Medical Officer for the University.

3. Superannuation Pension : It shall be granted to an employee who retires/retired on attaining the age of compulsory retirement.

4. Retiring Pension : A retiring pension shall be granted to an employee :

   (a) who retires/retired in advance of the age of compulsory retirement, in accordance with University rules; and

   (b) who, on being declared surplus, opts for voluntary retirement in accordance with the provision of the University rules.

5. Compassionate Allowance : An employee who is dismissed or removed from service shall forthwith forfeit his pension.

Provided the authority competent to dismiss or remove the employee may, if the case is deserving of special consideration, sanction Compassionate Allowance, not exceeding two thirds of the pension which, would have been admissible to him, if he had retired on the basis of medical certificate.

General Conditions

2.2. Good conduct is an implied condition for every grant of pension. The University reserves the right of withholding or withdrawing a pension, or, any part of it, if the pensioner is convicted of a serious crime, or, is guilty of grave misconduct, involving moral turpitude.

2.3. (a) In a case where a pensioner is convicted of a serious crime, action shall be taken in the light of judgement of the court relating to such conviction.

(b) In a case not covered by the provisions of clause (a) above, if the competent authority considers, that the pensioner is prima-facie guilty of grave misconduct, it shall before passing an order :—

(i) serve upon the pensioner a notice specifying the action proposed to be taken against him and the grounds, on which it is proposed to be taken, and calling upon him to submit, with sixty days of the receipt of the notice, or, such further time, not exceeding fifteen days, as may be allowed by the competent authority, such representation as he may wish to make against the proposal; and

(ii) take into consideration the representation, if any, submitted by the pensioner under sub clause (i);

(c) the decision of the University on any question of withholding or withdrawing the whole, or, any part of the pension under this Regulation shall be final and conclusive.

2.4. No recovery may be made from the pension of any employee (whether by reduction of pension or by deduction from pension) which has already been sanctioned, or, which is in the process of being sanctioned.

2.5. Provided that the University reserves the right of withholding, or withdrawing a pension, or, part of it, whether permanently, or, for a specified period and the right of ordering the recovery from a pension of the whole, or, part of any pecuniary loss caused to the University, if in a departmental, or, judicial proceedings the pensioner is found guilty of grave misconduct, or, negligence during the period of his service including service rendered upon re-employment after retirement.

CHAPTER 3

Service qualifying for Pension

3.1. Unless otherwise provided by special provision or contract, the service of an employee shall begin to qualify for pension when he takes charge of the post to which he is first appointed.

3.2. Except for compensation gratuity, service does not qualify till the employee has completed eighteen years of age.

3.3. Following are the general conditions which should be fulfilled before service qualifies for pension :—

First : the service must be under the University as defined hereinafter.

Second : The service must be paid by the University as defined hereinafter.

3.4. The temporary employees shall be treated at par with permanent employees in respect of all retirement benefits viz: retiring, Superannuation, Compensation and Invalid Pension, Service gratuity, Death gratuity and Retirement gratuity, provided that temporary service is followed without any interruption.

3.5. Service rendered by an employee as work-charged as also service paid from contingencies, qualifies for pension provided :—

(i) such service is followed by regular employment;

(ii) such service is a full-time job (and not part-time or portion of the day).

3.6. Following periods qualify for pension :

(i) all duty whether interrupted or continuous;

(ii) all periods of leave when leave salary is paid;

(iii) joining time during which pay and allowances are paid;

(iv) all periods of extraordinary leave which count for increment under the service rules;

(v) extraordinary leave granted to accept a teaching/administrative post, or fellowship, or research-cum-teaching post, or, an assignment of technical/administrative, or academic work;

(vi) periods of training if so ordered by the competent authority;

(vii) service during the period of probation if followed by confirmation on the same or another post;

(viii) an employee who is dismissed, or, removed from service, but reinstated on appeal or revision, is entitled to count his past service for pension, however the period of break in service between the date of dismissal, or, removal and the date, of reinstatement, shall not count, unless regularised as duty, or, leave by a specific order of the authority which passed the order of reinstatement;

(ix) period of suspension, if the employee is fully exonerated of the charges; in other cases, where the

employee is not fully exonerated and is reinstated for other reasons, the period of suspension will count only if so decided by the authority which ordered his reinstatement;

(x) period spent on foreign service in, or, outside India, if contributions towards pension are paid to the University by the foreign employer or the employee himself.

3.7. Following periods do not qualify for pension :

(i) suspension adjudged as a specific penalty;

(ii) casual or daily rate service;

(iii) service preceding resignation except where such resignation is allowed to be withdrawn by the appointing authority, as provided in the relevant rules, or, when such resignation has been submitted to take up with proper permission, another appointment under the University where service qualified for pension;

(iv) joining time for which no pay and allowances are paid under the relevant rules;

(v) service as an apprentice;

(vi) period of overstayal of leave;

(vii) period of foreign service outside India when no pension contributions are paid to the University.

3.8. Past qualifying service rendered by an employee is forfeited under the following circumstances :—

(i) resignation from service except as provided under Regulation 3 7 (iii);

(ii) if an unauthorised leave of absence occurs in continuation of authorised leave of absence and if the post of the absentee has been substantively filled up, the past service of the absentee is forfeited;

(iii) removal from service for misconduct, insolvency and inefficiency shall entail forfeiture of past service, provided that removal from service on account of failure to pass an examination shall not entail forfeiture;

(iv) an interruption in the service of an employee caused by wilful absence from duty, or, unauthorised absence without leave, shall entail forfeiture of the past service;

(v) wilful abstinence from performing duties by an employee by resort to pendown strike shall be deemed to be wilful absence from duty and shall entail forfeiture of the past service.

3.9 An employee appointed to a service or post, shall be eligible to add to his service qualifying for superannuation pension (but not for any other pension), the actual period, not exceeding one fourth of the length of his service, or, the actual period by which his age at the time of recruitment exceeded twenty five years, or, a period of five years, whichever is less, if the service or post to which he is appointed is one—

(a) for which post-graduate research or specialist qualification or experience in scientific technological or professional field is essential, and

(b) to which candidates of more than twenty five years of age are normally recruited.

provided that this concession shall not be admissible to an employee unless his actual qualifying service at the time he quits University service is not less than ten years.

3.10 An employee who is blind, deaf, dumb, or, otherwise orthopaedically handicapped, or, widow at the time of his/her entry into service shall be eligible to add to his/her service qualifying for superannuation pension, a period of 5 years.

3.11. An employee who becomes blind, deaf, dumb or otherwise orthopaedically handicapped during the service, and is retired from service as a result thereof, shall also be eligible to add to his service qualifying for pension a period of five years.

3.12. In the case of an employee retiring voluntarily, as per University Rules, after putting in, not less than 20 years' qualifying service, weightage of five years shall be given in his actual qualifying service, so that the total qualifying service so increased shall not in any case exceed thirty three years, or, the period of qualifying sevice which the employee would have completed had he retired on the date of his superannuation, whichever is less.

3.13. An employee who is declared invalid and retires on Invalid pension shall be granted weightage of five years in the qualifying sevice. If the qualifying service after the grant of weightage remains below ten years, it shall be raised to ten years for the grant of pension.

3.14. The service rendered by an employee under the Central Govt./Central Autonomous body or Punjab Govt./Punjab State Autonomous Body, recognised Universities/recognised educational institutions shall on his absorption in University service count for pension subject to the following conditions :—

(i) If he was borne on pensionable establishment, the service rendered by him shall be allowed to be counted towards pension under the University irrespective of the fact whether he was temporary or permanent, in the previous organisation. The previous organisation shall discharge its pension liability by paying in lump sum as one time payment the pro-rata pension/Service gratuity, Death gratuity and Retirement gratuity for the service up to the date of absorption in University service; pro-rata pension being determined with reference to the commutation table prescribed under Regulation 7.2.

(ii) If he was enjoying C.P. Fund benefits under the previous organisation, he will have the option, either to receive C.P. Fund benefits which have accrued to him from the previous organisation and start service afresh under the University, or, choose to count his previous service for pension under the University by foregoing employer's share of C.P. Fund with interest received from the previous organisation which shall stand transferred to the University.

CHAPTER 4

Service Gratuity and Pension

4.1. The amount of pension that may be granted to an esmployee is determined by length of qualifying service which shall be computed, in terms of completed half years. Fractions of a year equal to three months and above shall be treated as a complete half year and reckoned as qualifying for determining pension.

4.2. If the qualifying service rendered by an employee is less than ten years (20 half years), he shall be entitled to service gratuity, calculated at the rate of half month's emoluments for every completed six monthly period of service.

4.3. In the case of an employee who has rendered 10 years (20 half years), or, more of qualifying service, the pension payable shall be calculated at the rate of 50% of average emoluments, if the qualifying service rendered, is not less than 33 years (sixty six half years). In cases where the qualifying service is less than sixty six half years, the pension admissible shall first be calculated at 50% of average emoluments, and then reduced proportionately, to completed half years service actually rendered, provided that pension shall, in no case be less than Rs. 375/- per month.

Death Gratuity and Retirement Gratuity

4.4. An employee who has completed five years of qualifying service shall be paid Retirement gratuity on his retirement at the rate of one fourth of emoluments for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 16½ times the emoluments in the case of Class A and Class B employees and 17½ times the emoluments in the case of Class C employees, provided that, in no case, the amount shall exceed one lakh rupees.

4.5 If an employee dies while in service, Death gratuity at the following rate, shall be paid to the person/persons on whom the right to receive the same is conferred under Regulation 4.6.

Length of Qualifying Service	Rate of Gratuity
1. Less than one year	2 times the emoluments
2. One year or more, but less than five years.	3 times the emoluments
3. Five years or more, but less than twenty years.	12 times the emoluments.
4. Twenty years and above.	Half of emoluments for each completed six monthly period of qualifying service, subject to a maximum of 33 times of emoluments, provided the amount of Death gratuity shall, in no case, exceed one lakh rupees.

4.6. An employee shall, at any time, after his confirmation make a nomination, conferring on one or more persons, the right to receive any gratuity that may be sanctioned under Reg. 4.5, and any gratuity, that having become admissible to him under Reg. 4.4, has not been paid to him before his death; provided that, if at the time of making a nomination, the employee has a family, the nomination shall not be in favour of a person other than a member of his family.

CHAPTER 5

FAMILY PENSION AND EXTRAORDINARY PENSION

FAMILY PENSION :

5.1 Family pension at the following rates shall be payable to the family of a deceased employee :

A. During first seven years, or, till an employee would have attained the age of 67 years had he survived, whichever is less :

Pay of the employee	Rates of family pension per month
(i) Up to Rs. 1500/-	60% of pay subject to a minimum of Rs. 750/-.
(ii) Rs. 1501 to Rs. 3000/-	40% of pay subject to a minimum of Rs. 900/-.
(iii) Above Rs. 3000/-.	30% of pay subject to a minimum of Rs. 1200/- and maximum of Rs. 2500/-.

Note : 1. The above rates will be applicable only if the employee had rendered not less than seven years continuous service before death, while in service.

2. In case, both husband and wife, are employees, their eligible children will be entitled to two family pensions—one in respect of each parent—in the event of death of both of them, subject to a maximum of Rs. 3000/- per month.

B. After the expiry of seven years, or the completion of 67 years of age, had the employee survived :

Pay of the employee	Rates of family pension per month
(i) Up to Rs. 1500/-	40% of pay subject to a minimum of Rs. 375/-.
(ii) Rs. 1501 to Rs. 3000/-	30% of pay subject to a minimum of Rs. 600/-.
(iii) Above Rs. 3000/-.	20% of pay subject to a minimum of Rs. 900/- and maximum of Rs. 1500/-.

Note : 1. In case, both husband and wife are employees, their eligible children will be entitled to two family pensions—one in respect of each parent—in the event of death of both of them subject to a maximum of Rs. 2250/- p.m.

2. Family pension will be admissible in the case of death while in service, or, after retirement. In the case of death, while in service, the employee should have completed a minimum period of one year of service without break. The condition of one year's service shall not be applicable in the case of an employee who has been medically examined and declared fit for entry into service.

5.2 In the event of death after retirement, family pension is admissible only if the retiree was in receipt of pension at the time of death.

Extraordinary Pension and Disability Awards

5.3. The benefits mentioned in Regs. 5.4 to 5.7 are applicable, when an employee dies or is disabled, and such death or disability is attributable to service or aggravated by service.

5.4 Family pension at the following rates, irrespective of the service rendered by the deceased, shall be admissible :

(A) Where the deceased employee does not hold a pensionable post :

Pay	Rates of family pension per month
(i) Up to Rs. 1500/-	40% of pay subject to a minimum of Rs. 375/-.
(ii) Rs. 1501 to Rs. 3000/-	30% of pay subject to a minimum of Rs. 600/-.
(iii) Above Rs. 3000/-	20% of pay subject to a minimum of Rs. 900/- and maximum of Rs. 1500/-.

(B) Where the deceased employee holds a pensionable post :

Pay	Rates of family pension per month
(i) Up to Rs. 1500/-	60% of pay subject to a minimum of Rs. 750/-.
(ii) Rs. 1501 to Rs. 3000/-	40% of pay subject to a minimum of Rs. 900/-.
(iii) Above Rs. 3000/-	30% of pay subject to a minimum of Rs. 1200/- and maximum of Rs. 2500/-.

5.5 If the disability due to causes attributable to service is 60% and above, and employee is permanently incapacitated, he may be given the option to have his pension determined in the manner provided in either of the following two alternatives :

(a) a consolidated pension for the disability (including the element of invalid pension admissible under normal rules) at the rates mentioned in 5.4 (B) above.

OR

(b) Invalid pension under normal rules and in addition one time compensation of Rs. 20,000/- for the injury.

5.6 If the disability due to causes attributable to service is below 60%, one time compensation shall be granted at the following rates, which shall be in addition to usual pensionary benefits admissible under the rules :—

(a) where the disability is between 20% to 40%	Rs. 5000/-
(b) where the disability is above 40% and below 60%	Rs. 10,000/-

5.7 Rates of special family pension to the family of the employee who, while performing his duties, dies as a result of attack by, or, during action against extremists, dacoits, smugglers and anti-social elements etc. shall be as under :—

(i) from the day following the date of death to the notional date of superannuation.	last pay drawn by the deceased employee at the time of his/her death.
(ii) from beyond the notional date of superannuation.	as at 5.4(B) above.

5.8 Where a pensioner is killed by extremists or anti-social elements etc., as a result of retaliation for some action taken by him against such extremists or anti-social elements etc., in the performance of his duty, while in service, his family shall be granted special ex-gratia grant and special family pension at the same rates as are applicable to the employees-pay drawn by him at the time of retirement being reckoned for this purpose.

5.9 If a close relation of an employee or a pensioner is killed disabled by extremists, or anti-social elements etc., as a retaliation for any action taken by the employee or pensioner in the performance of his duties while in service, the family of the deceased, and in case disability is 100%, if he is not a University employee, shall be granted family pension at the rate of Rs. 563/- p.m.

5.10 For the purpose of Regulations 5.3 to 5.9, the list of disabilities and the procedure for payment of pension/Compensation shall be such as may be provided in the rules framed in this behalf with the approval of the Syndicate.

CHAPTER 6

OTHER BENEFITS

Ex-gratia Grant

6.1 If an employee who is in regular service, dies while in service, ex-gratia grant equivalent to twenty times the emoluments drawn by the deceased immediately before death, shall be paid to the family of the deceased employee. The amount of grant shall be subject to a minimum of rupees ten thousand and maximum of rupees thirty thousand. In the case of an employee who is killed in terrorist action, the amount of grant shall be equivalent to twenty four times the emoluments, subject to a minimum of one lakh rupees.

Travel Concession

6.2 Pensioner shall be granted Travel Concession equal to one month's basic pension after completion of every block of two years, which shall be counted from the month of January following the date of retirement. Provided that in the case of those employees who retired between 1-1-1986 and the date of notification of these Regulations, the first block shall be reckoned from the month of January of the year in which the notification of these regulations is issued.

CHAPTER 7

Communication of Pension

7.1 An employee shall be entitled to commute for a lumpsum payment any portion, consisting of whole rupees, not exceeding one third of any pension, which has been, or, may be granted to him under these Regulations.

Provided that an employee against whom judicial or departmental proceedings have been instituted by the University, or, a pensioner against whom any such proceedings have been instituted, or, continued by the University, shall not be permitted to commute any part of his pension during the pendency of such proceedings,

7.2 The lumpsum payable on commutation shall be calculated in accordance with the table that may be prescribed as per Punjab Govt. rules from time to time.

7.3 (a) An employee who applies for commutation of pension within one year of the date of retirement on Superannuation, Retiring or Compensation pension, is entitled to get his pension commuted without undergoing medical examination by making an application in the form prescribed for the purpose.

(b) The commutation shall become absolute when the application is received by the Registrar.

(c) An employee is not entitled to withdraw his application for commutation made under this Regulation.

NOTE : In the case of employees who retired prior to the date of notification of these Regulations, the period of one year shall be counted from the date of issue of notification.

7.4 (a) The benefit of commutation of pension without medical examination under Regulation 7.3 shall not be admissible to an employee :

(i) who retires on Invalid pension, or

(ii) applies for commutation of pension after one year of the date of his retirement, except, when the grant of pension is held up on account of any judicial or departmental proceedings instituted by the University, and in such cases, the period of one year shall be deemed to commence with effect from the date the proceedings are concluded without extinguishing the title to pension.

(b) Procedure for commutation and medical examination will be such as may be prescribed by the Syndicate under Rules to be made in this behalf.

7.5 (a) Notwithstanding anything contained in these Regulations, the commuted portion of Superannuation pension, which is commuted within one year of the date of retirement shall be resorted when the pensioner attains the age of 72 years.

(b) In other cases, where the commutation is made after one year of retirement or when a pensioner retired on compensation, Invalid or Retiring pension, the commuted portion of pension shall be resorted after such period as may be prescribed by rules made in this behalf, keeping in view generally the principle that the commuted value alongwith interest, has been more or less fully repaid, to the University by way of drawl of reduced pension.

CHAPTER 8

Re-Employment of Pensioners

8.1 When a person who was formerly in the employment of any Government, or, any autonomous body, obtains re-employment, whether temporarily or permanently, in the University, it shall be incumbent on him to declare to the appointing authority the amount of any bonus or pension granted to him in respect of the previous employment. The appointing authority shall decide if any deduction is to be made from pension or pay as required by these Regulations.

8.2 A University employee who has retired on Compensation pension, or, on Invalid pension, but is sufficiently restored to health, if re-employed in qualifying service, may either retain his pension in which case, the former service will not count for pension, or refund it and count his former service.

8.3 A University employee who has retired on Compensation pension, if re-employed, may retain his pension in addition to his pay, provided that his pension shall remain wholly or partly in abeyance, if the sum of the pension and initial pay on re-employment exceeds his substantive pay immediately before retirement, that is, he can draw only such portion of pension as will make his initial pay plus pension equal to his substantive pay at the time of his retirement. Once the amount of pension has been fixed in conformity with this condition, he shall be entitled to receive he benefit of increment in his new scale, or, promotion to another scale, or, post without a further corresponding reduction in pension.

8.4 If the re-employment after receiving Compensation Pension,, is in qualifying service, the employee may either retain his pension, in which case, his former service will not count for pension, or, cease to draw any part of his pension and count his previous service. Pension intermediately drawn need not be refunded.

8.5 The re-employment of employees who retired on Invalid pension will also be governed by the Regulation 8.3 and 8.4.

8.6 An employee who has retired on Superannuation, or Retiring pension, can be re-employed only in a purely temporary capacity with the sanction of competent authority. In determining the pay of such re-employed pensioners, the following principles shall be observed :—

(i) the pay must not exceed the substantive pay drawn immediately before retirement, or, the maximum of the scale, applicable to the post in which he is re-employed, whichever is less;

(ii) when a person is re-employed after superannuation, his pay plus pension, including commuted portion, if any, shall not exceed the substantive pay drawn immediately before retirement, or, the maximum of the post in which he is re-employed, whicever is less.

8.7 When an employee who having been discharged with a pension is subsequently re-employed, he may not count his new service for a separate pension. Pension (if any) is admissible only for the new service combined with the old, the whole being counted as one service.

8.8 If an employee who has obtained Compensation or Invalid pension is re-employed in pensionable service and retains the pension (Regulation 8.3 and 8.5), the pension or gratuity admissible for his subsequent service is subject to the limitations that the gratuity or capital value of the pension shall not be greater than the difference between the value of the pension that would be admissible at the time of the final retirement, if the two periods of service were combined and the value of pension already granted for previous service.

CHAPTER 9

Procedure for Sanctioning and Payment of Pension

9.1 Delay in payment of pension involves hardship to the pensioner. The Vice-Chancellor will frame a Time Table and prescribe the procedure for ensuring prompt sanctioning and timely payment of pension and other dues of the retirees. It should be ensured by all those concerned with sanctioning and payment of pension and other dues that payment is made on the date when it becomes due.

9.2 If payment of pension and/or Death Gratuity/Retirement gratuity is delayed beyond three months, from the date of its becoming due, interest at such rate as may be specified by the rules, to be made by the Syndicate, shall be paid for the period beyond three months after these benefits become due to the end of the month preceding the month in which payment is authorised to the pensioner concerned.

CHAPTER 10

Delegation of Powers

10.1. The following authorities shall exercise the power of competent authority under various regulations:—

S. No.	Number of Regulation	Nature of Power	Authority to which power delegated	Extent of Power
1	2	3	4	5
1.	2.2	Power to withhold or withdraw a pension, or, any part of it, on account of grave misconduct of the pensioner.	Authority competent to make appointment to the post held by the pensioner at the time of retirement.	Full Power
2.	3.6(vi)	Power to count for pension any period spent on training.	(i) Syndicate	For Class A
			(ii) Vice-Chancellor	For Class B
			(iii) Dean of University Instruction/Registrar (as the case may be)	For Class C

1	2	3	4	5
3.	Chapter 4	Power to sanction, service-Gratuity, Pension and Death-Gratuity/Retirement Gratuity.		
4	Chapter 5	Power to sanction family pension, Extraordinary pension & Disability awards.	(i) Vice-Chancellor (ii) Dean of University Instruction/Registrar (as the case may be)	For Class A & B Employees For Class C Employees
5.	6.1	Power to sanction Ex-Gratia grant.		
6.	7.3 & 7.4	Power to sanction Commutation of Pension.		
7.	9.2	Power to allow payment of interest on delayed payment of pensionary benefits.	Vice-Chancellor	Full powers: Responsibility for delay should be fixed in all cases of delayed payments.

10.2. Authorities mentioned in Col. 4 above may re-delegate their power to authorities subordinate to the subject to such conditions that they may like to impose. The power so re-delegated cannot be delegated any further.

Chandigarh-160014
Dated: 17-09-93

ASHOK RAJ BHANDARI
Deputy Registrar (General)

Sealed in my presence with the common seal of Panjab University, this day 17th September, 1993.

B. L. GUPTA
Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1993
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1993